

may be suspended in its application to a particular motion before the House and if the motion is carried, the rule in question shall be suspended for the time being."

SHRI G.M. BANATWALLA : Always do it like that.

MR. DEPUTY-SPEAKER : What has been said by Mr. Chitta Basu is this. We do not discuss these things in the Committee, the consent is given by the Speaker and then the Bill is introduced. But when it is sought to be introduced, you have every right to oppose the introduction of any Bill. And it is put to the vote of the House. Only when it is carried, it becomes a subject matter or constitutional amendment or anything before the House.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : What was the urgency ? You have not explained that point.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We are not concerned. Any Member can give notice of anything to the Speaker and we cannot restrict it. That is his right.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Speaker giving his consent is based on some understanding of the situation. What is the urgency ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have nothing to say. It is at the discretion of the Speaker. Under Rule 388 this is the position.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : His satisfaction cannot be arbitrary.

MR. DEPUTY-SPEAKER : His giving consent cannot be questioned also. Now it is over.

The Member, if he is here, might have moved it and you have got every right. Every one of you can oppose it tooth and nail and then it will be put to the vote of the House and if the House rejects it, it will not be introduced. If the House allows it, it has to be discussed.

SHRI G.M. BANATWALLA : Always admit such a motion.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Since he is not present, it is not introduced.

15.42 hrs.

RESERVATION OF VACANCIES IN POSTS AND SERVICES (FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES) BILL —CONTD.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now we go to the further consideration of the motion moved by Shri Suraj Bhan on 23rd March, 1984. We have allotted 6 hours out of which 4 hours and 55 minutes have already been taken and one hour and five minutes remain.

Shri Ajit Bag to continue his speech.

*SHRI AJIT BAG (Serampore) : Mr Deputy Speaker, Sir, this Government is not at all eager or serious in solving any problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This has been amply proved by the undue dilly dallying in publishing their decision on implementing the report of the Mondol Commission. They have only lip sympathy for the SC/ST people. You are aware Sir, that today we i.e. all the Members of the Opposition parties staged a walkout against this attitude of the Government.

In the earlier part of my speech on the last occasion I had mentioned that actually problems of the SC/ST people are basically linked with the question of radical land reforms. Without basic and radical land reforms the economic conditions of the 16 crores of SC/ST People can never be improved. In this context Sir, I will like to mention in brief what has been achieved by the Left Front Government of West Bengal within their limited resources and powers.

The West Bengal Government has taken some commendable steps in the matter of distribution of land. Vested land has been distributed among large number of landless. The number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes among them are— 5,29,308 and 2,73,692 respectively— This gives a total of 8,03,000 which constitutes 55% of the total allotment of land to the landless.

Among the sharecroppers to whom land has been distributed, the number of Scheduled Castes is 4,82,612 and the Scheduled Tribes number 2,17,175. This gives

a total of 6,99,787 i.e. almost 7 lakhs, which is 58% of the total recorded sharecroppers to whom land has been allotted.

In the matter of reservation of jobs in Government services, under the Left Front Government in West Bengal although the progress has not been strictly according to expectations. Yet the progress is noteworthy : On 31.3.77 the percentage of Scheduled Castes in Government services in West Bengal was 6.17% and that of Scheduled Tribes it was 1.68%. But on 31.3.82 the percentage of Scheduled Castes and Tribes in Government services had gone up to 12% and 4% respectively. Moreover, Sir, in the matter of reservation of jobs in West Bengal, all the Government and semi-Government offices, municipalities, corporations, Government aided educational institutions viz., primary schools, secondary schools, colleges and even universities are all religiously following the reservation policy.

Sir, the question of providing education to the SC/ST people should be viewed with more seriousness and concern. It will be observed that for non-availability of suitably qualified SC/ST candidates, the posts reserved for them lie vacant year after year. Particularly among the Scheduled Tribes we do not find any doctors or engineers. Unless there is spread of education among these people, the shortages will not be made up. Therefore the spread of universal education among these people is of the utmost importance. Without that we will never be able to give voice to these exploited, downtrodden masses. But it is a matter of regret that even after 37 years of independence more than 65% of our people are illiterate and it is needless to say that the situation among the SC/ST people in this respect is all the more fearful and disappointing. The ruling party is the least bothered about this. A glance at the allocations made for education in the Central Budget will make it clear.

Sir, in the current Budget the divisible outlay for special component plan for scheduled castes has been brought down at 12.2%. The same was kept at 20.25% in the last year's budget i.e. 1983-84. In the same way the divisible outlay for the Tribal sub-plan has been brought down to 7% in this year's budget from 10.90% or almost

11% allocated in last year's budget. This clearly reflects the attitude of the Central Government. As a result of this attitude almost 90% of the SC/ST people are illiterate. Therefore, we feel that unless universal education is introduced among them their problems will never be solved. Sir, another regrettable fact is that there is not a single uniform schedule for SC/ST people all over the country. Different States have different schedules. As a result, if a SC/ST person moves from one State to another, he faces various difficulties and is deprived of the reservation benefits on account of non-inclusion in the Schedule of that State. For example, about 90% of the displaced persons from East Bengal who have been resettled in the Andaman and Nicobar islands, belong to the Scheduled Castes. But in centrally administered Andaman Nicobar islands, there is no such schedule. As a result, these large number of displaced persons are denied the benefits of reservation etc. there. Whereas the people going to Andaman from the mainland are cornering all the facilities in this respect. I draw the attention of the Central Government to this difficulty being faced by the SC/ST people. A large number of displaced persons from East Bengal have also been rehabilitated in Dandakaranya. Here also 90% of them belong to SC/ST. But many Castes and Tribes who are recognised as SC/ST in West Bengal or in Bangladesh (East Bengal) are not included in the Schedule in Madhya Pradesh and Orissa. As a result there also they are being deprived of the benefits. This disparity should be done away with immediately.

From the existing circumstances we see that the ruling party do not have any intention of taking the right measures and steps to ameliorate the conditions of these poor neglected, oppressed SC/ST people, however, vocal they may be in paying lip sympathy to these toiling masses, because the ruling party today represents the exploiting classes only. Therefore, for the upliftment and economic betterment of the SC/ST people, to provide them with the benefits of reservation etc. we will surely carry on agitations.

But one thing we must clearly understand that it is imperative to change the structure and framework of the present social system to achieve that end. We know, and the history of the world has also proved

that it is possible to change the framework of a exploiting social system through democratic mass movements under the leadership of the working classes. I have firm belief that we will be able to achieve that goal through the united movements of all the working, toiling masses. With this hope, Sir, I once again extend my support to this Bill of Shri Suraj Bhan and conclude my speech.

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the hon. Member, Shri Suraj Bhan, has in his Bill intended to make the reservations more effective so that whatever posts have been guaranteed under the Constitution for scheduled castes and scheduled tribes are adequately made available to these people.

Sir, at the outset I must thank the hon. Member for bringing forward this Bill and focussing the attention of the House as well as the government to the lacunae and the discrepancies that have crept in the course of implementation of the reservation policy. As I mentioned earlier this Bill is on account of the apprehension that whatever is guaranteed under the Constitution is not being fulfilled. The hon. Members have pointed out many difficulties as well as discrepancies in the implementing machinery as a result of which whatever has been guaranteed under the Constitution is not being fulfilled.

Sir, before I touch the next point I would like to quote one sentence from the report of the working group appointed by the Government of India in the years 1980-85 on the development of scheduled castes.

"They (Scheduled Castes) are in fact caught up in the vicious circle in which they are dependent upon their exploiters for their sustenance and are largely denied opportunities to develop the capability of attaining an independent livelihood."

This is the observation of the Group appointed by the Government of India. They have pointed out suitable measures for the development of these people and to bring them at par with other communities.

This shows that whatever measures the Government has taken they have not yielded

the results desired. It is a fact. That is why they have mentioned it. In fact, Government has also realised it. That is why they appointed this Group which has made number of recommendations. I think the Minister will tell us how far they have progressed in the matter of implementation of the various policies, — especially personnel policies—which have been pointed out in their report. There is an apprehension in the minds of Scheduled Castes that whatever schemes are intended for them are not being implemented and they do not get the benefits. We have to remove this apprehension in their minds.

Now I would like to quote a few sentences from the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1981-82. We know that scholarships for the scheduled castes and scheduled tribes are available. But how far these facilities are being availed? That is the question now. The Comptroller and Auditor General of India has pointed out how these things are being misused. I hope the Minister might have looked into this Report. Summing up their main recommendations, this is what they have pointed out :

"In 708 cases scholarships amounting to Rs. 5.56 lakhs were awarded without production of caste/income certificates. Scholarships amounting to Rs. 50.64 lakhs were awarded to inmates not belonging to scheduled castes or for courses not covered under the scheme."

So, you see how the facilities made available for them have been misused and this has been pointed out in the report. Then they say :

"Scholarships at higher rates were awarded to 3025 inmates of hostels resulting in excess payment of Rs. 8.36 lakhs. The scholarships were awarded late. Generally the delays ranged from 3 to 21 months after they became due."

Similarly there are many instances which they have pointed out. I don't want to cite all these instances because these reports are already available with the Government. I would like the Minister to tell us how this sort of mismanagement has taken place.

This situation is obtaining not only in the Centre but in the States also. It is happening in my own State, Orissa. Previously all the girl students studying especially in Middle English schools and high schools were getting stipends at par with the boarders because in M.E. schools there are no hostels. That is why Government has made it a policy that every girl student should get the scholarship, that is to say, every girl student should get the scholarship at par with the boarders. Recently, the State Government has discontinued this practice.

16.00 hrs.

Even in the Government managed High Schools and Middle English schools they have not provided any hostel facilities for the girls. To prevent dropouts, it was decided, as a matter of policy, to give incentive to the girl students and give them scholarship. Why have they stopped it? They are not able to provide them with hostel facilities. The girl students should be treated at par with the boarders for this matter.

Similarly, there are cases where the posts have not been filled according to the reservation made for them. My friend has, therefore, done a right thing in bringing forward this Bill. Many hon. friends have pointed out that a number of States have brought forward suitable legislation to ensure that adequate representation in the Services is made available to these people according to the provisions of the Constitution. If this sort of half-hearted attempt is made, no solution will be found. My hon. friend from this side said correctly that this reservation will not be there for ever; it will be discontinued at one time.

The hon. Member has rightly brought forward this Bill to draw the attention of the Government to this important matter. I urge upon the Government to see that whatever is due to these people according to the Constitution as well as the recommendations of the various Committees from time to time must be made available to them.

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। जहाँ तक शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के आरक्षण का प्रश्न है, वह

अभी तक ज्यों का त्यों ही बना हुआ है। समानता, एकता, भाईचारा और समान न्याय की संविधान में व्यवस्था है। महात्मा गांधी जी और नेहरू जी ने हरिजन तथा आदिवासियों के लिए बहुत विशाल हृदय था। अगर पिछले 37 वर्षों का सिंहावलोकन किया जाए तो बहुत वेदना होती है। हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं जो महात्मा गांधी, विवेकानन्द, दयानन्द सरस्वती और अम्बेडकर चाहते थे। दलित और पीड़ित मानव को समाज के समान स्तर पर लाने की जो हमारी कल्पना है और उसके अनुसार जो संविधान में व्यवस्था है, वह केवल किताब में ही रह गई है।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : उनकी कल्पना थी और हम लोग कार्यान्वयन कर रहे हैं।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : कार्यान्वयन और कार्य-कलापों के बारे में तो आंकड़े बोल रहे हैं। उन आंकड़ों के आइने में आपका चेहरा दिखाई पड़ रहा है कि संविधान को कितना नजर अन्दाज किया है। उनकी भावनाओं को मूर्त रूप देने में हम लोगों ने बेईमानी की है। इसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं हो सकता।

यदि आप कोई काम अच्छा करेंगे तो हम उसकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने अपने यहां शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए 15 परसेंट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए साढ़े सात परसेंट का रिजर्वेशन बनाया है, दोनों को मिला कर साढ़े बाईस परसेंट पूरे समाज में इनका भाग बन जाता है, जो कि लगभग एक चौथाई है, जिसको हम दलित और पीड़ित कहते हैं, यदि समाज के साथ-साथ आगे बढ़ने की उनमें क्षमता नहीं आती है, उनको ऊपर बढ़ने के अवसर नहीं दिए जाते हैं तो इसका क्या अर्थ हुआ। वैसे हमारा देश एक प्रजातंत्र है, गणतंत्र है और लोकतंत्र भी हम इसको कहते हैं। लेकिन आप देखिए कि डेमांक्रेंसी की डेफिनीशन क्या है— It is the Government in which everyone has one share.

जब हर व्यक्ति का एक समान हिस्सा है तो इतने दिनों से रिजर्वेशन रहने के बावजूद यदि सैन्ट्रल सर्विसेज में देखा जाए तो शैड्यूल्ड कास्टस के लिए क्लास वन में 5 परसेंट, क्लास टू में 7 परसेंट और क्लास थ्री में 13 परसेंट तक यह पहुंचा है। इसी तरह से आदिवासियों का प्रतिशत जहां क्लास वन और टू में शून्य है, क्लास थ्री और फोर में दो या तीन प्रतिशत है तो इससे अदाज लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी संख्या को हम समाज के साथ कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आगे ले जा सकते हैं, उसको हम संविधान में प्रदत्त समानता और एकता की भावना के अनुरूप दूसरों के बराबर ला सकते हैं क्या हमारे संविधान की भावना सिर्फ भावना बन कर ही रह जाएगी या उसको अमली जामा भी पहनाया जाएगा। इसलिए हमारे जितने कानून इस सम्बन्ध में बने हैं, उनको अधिनियमित कर दिया जाए और अधिनियमित करके समाज के इस दुर्बल अंग को मजबूत बनाया जाए। जिस तरह हमारे शरीर की किसी उंगली में घाव हो जाता है तो उसकी मरहम पट्टी करते हैं, डाक्टर को दिखाते हैं ताकि उनकी प्रोपर व्यवस्था हो सके, क्यों कि उम के कारण सम्पूर्ण शरीर में वेदना होती है। उसी तरह समाज के इन हरिजन, आदिवासी और दुर्बल वर्ग के लोगों के साथ आज तक जस्टिस नहीं हुआ, क्योंकि हमने उनके साथ संवेदना नहीं रखी और इसी कारण आज उनकी परसेंटेज बिल्कुल नगण्य है और नजर अंदाज करने लायक है। यही कारण है कि हमें जगह-जगह से हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार और सामूहिक हत्या के समाचार सुनने को मिलते हैं। बिहार में हर स्थान पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। उसका कारण यही है कि उनको समाज में दूसरों के समान अवसर प्राप्त नहीं हैं, उनमें छूआछूत की भावना विद्यमान है और यहां तक कि उनको अपने मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। हम लोग जानबूझ कर के उनकी उपेक्षा करते हैं। इसी कारण यह परिस्थिति पैदा हुई

है। यदि गरीब लोगों की तरफ बड़े लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो जाए तो उसका मतलब होगा—जिम तरह एरिस्टोटल सिद्धांत में कहा गया है—The interests of the weaker should be the interest of the stronger. यदि हम इसी तरह से चलते रहेंगे तो देश भर में दुर्बल वर्ग कभी ऊपर नहीं आ सकता। इसलिए इनको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हमने इनके लिए जो प्रावधान किए हैं, उनको अधिनियमित किया जाए। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 1981 में राष्ट्रीय परिपद, कोचीन में ऐसा प्रस्ताव पारित किया था कि इसको अधिनियमित किया जाना चाहिए। हमारा वह रिजोल्यूशन सर्वसम्मति से पास हुआ था। लेकिन आप लोग तो पावर में हैं, बैठा जी, सिद्दा साहब, आप कानून पास करवाइये। यूं तो हर मामले में एक ही फार्मूला लगाया जा सकता है—भोजनम्, भाषणम् और उद्घाटनम्—यानी जमीन पर कुछ नहीं, सब कुछ केवल भाषणम् ही भाषणम् चलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति सत्ता में हो, कुर्सी पर हो, सबसे पहले वह भारतीय है, चाहे हम लोग हों या आप हों, पहले हम सब भारत-वामी हैं और इसीलिए संविधान की भावना को लागू करने का दायित्व आपके कंधों पर आ जाता है। मेरा निवेदन है कि आप इसको अधिनियमित कीजिए ताकि उनके अधिकार कानून उनको मिल सकें, उनको अमली जामा पहनाया जा सके और इन समाज के उपेक्षित, दलित, पीड़ित, ओप्रेस्ड शोषित जितनी भी तरह के लोग हैं उनको ऊपर उठाया जा सके। ताकि इस तरह की समस्याएं जो बार-बार आती रहती हैं और हमारा समाज दुर्बल हो रहा है, उसका अवसर न मिले। भारत एक ऐसा देश है, जहां इस तरह की परिस्थितियां हैं। विदेशों में कहीं पर भी देखिये समाज का देश का जो रस होता है, उसमें नागरिकों की समान भावना होती है। भारत में हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा, बैकवर्डर फार्वर्ड आदि इस प्रकार की बहुत सी कैंसरस

डिजीज पैदा हो गई हैं। जानबूझ कर एक वर्ग पैदा किया गया है। असफलताओं पर पर्दा डालने के लिये इसको बनाया जा रहा है। यह इस तरह की बीमारी है जो सारे देश में लाइलाज हो गई है। हरिजन की बात तो अलग, बैकवर्ड और फार्वर्ड की बात सारे देश में चल रही और यह भयंकर रूप ले रही है।

श्रीमती राजबुलारी सिन्हा : सब का नेतृत्व आप कर रहे हैं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : नेतृत्व हम कर रहे हैं, लेकिन फायदा आप उठा रहे हैं। आप निर्मात्री हैं, जन्मदात्री हैं, इन सब चीजों को आप पैदा कर रही हैं। यह सब हिमालियन ब्लन्डर है।

हम एक देश में रहते हुए भी कहेंगे कि यह साउथ है, खालिस्तान अलग देश हो गया। हर जगह अलग-अलग की भावना क्यों पैदा हो गई? यह तो बुनियादी गलती हमारे नेताओं ने की है। एक दूसरे को आज देखना नहीं चाहता।

हम बारबार नेशनल इंटिग्रेशन काउंसिल की मीटिंग करते रहते हैं, लेकिन इसका क्या होगा जब कि बीमारी इस कदर है, सच्चाई नहीं है। इन सब भावनाओं के भीतर जाकर इसमें ईमानदारी लानी होगी।

हरिजन और आदिवासियों को अगर सचमुच में समाज के साथ लाना है तो आपने जो अधिकार उसको दिया है वह और देना होगा नहीं तो आज हजारों लाखों की तादाद में हरिजन धर्मान्तरण कर के मुसलमान और ईमाई बन रहे हैं। जहां उनको सुविधाएं मिलती हैं, जहां उनको समानता का अवसर मिलता है, वह उस धर्म में चले जाते हैं। आप उनको संकट की ओर भेज रहे हैं, उससे देश के भीतर लड़ाई पैदा हो रही है। हमारी कमजोरी के कारण ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। हमें सही बराबरी की राष्ट्रीयता की भावना से सब को ऊपर उठाना चाहिये।

हरिजनों में भी कुछ ऐसे हैं जिनको आई० ए० एस० तक रिजर्वेशन का कोटा मिलता है।

मेरा सुझाव है कि हरिजन में अगर एक आई० ए० एस० हो जाये तो उसे बैकवर्ड क्लास में भेज दें तब वह फिर आगे बढ़ सकेगा। आपके यहां डी-लिस्ट सिस्टम भी होना चाहिये। एक बार अगर कुछ बात हो जाये तो हरिजन कहां जाये। उसको बैकवर्ड कर दीजिये। इस क्लॉस की कोई जाति नहीं है। इसके लिए जरूरी होगा कि आप एक लिस्ट बनाइये और जब उसमें उसका काम हो जाये तो वह दूसरी ओर चला जाये। जो आई० ए० एस० हरिजन हो जाये वह आगे बढ़ेगा जो हरिजन आज लाखों की संख्या में पड़े हैं, उनके लिये आमदनी का स्रोत हमें देना होगा। हर हरिजन फैमिली में एक को गारन्टी के साथ सर्विस दी जानी चाहिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER : We cannot do it according the Constitution. I do not know whether Mr Suraj Bhan agrees.

SHRI SURAJ BHAN : I do not agree.

MR. DEPUTY-SPEAKER : There is difference of opinion between the two Members of the same party.

SHRI SURAJ BHAN : The party decision is there. The Resolution is there.

यह एग्री नहीं करेंगे, मैं बता दूंगा कि क्यों एग्री नहीं करते।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मैं अपने विचार रख रहा हूं कि कोडीफाई करें, मैं उसका समर्थन करता हूं। जब आप ने उड़ीसा, वैस्ट बंगाल और मणिपुर गवर्नमेंट ने हरिजन आदिवासी की संस्था को कोडीफाई कर दिया, तो सारे देश में क्यों नहीं कर सकते? अगर हमारे बिल में ईमानदारी है, तो हम यह काम क्यों नहीं कर सकते?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Supposing in a community one gentleman becomes an IAS officer. Would he agree that his own family should not be given a chance to become IAS officers? Why only in one case? You must also agree to that. If you agree to that, then it is all right.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : जो हायर कास्ट के हैं, वे मैरिट के आधार पर आएंगे।

लेकिन अगर कोई रिजर्वेशन के आधार पर, सरकारी मदद से, क्लास वन या गजेटेड पोस्ट या आई० ए० एस० में आता है, तो उसको डीलिट कर देना चाहिए। उसके परिवार के अन्य लोग रिजर्वेशन के आधार पर न आ सकें, मैरिट के आधार पर आएँ। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, तो अन्त काल तक रिजर्वेशन चलेगा। जहाँ तक बैकवर्ड क्लासिज का सम्बन्ध है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आए चार वर्ष हो गए हैं, लेकिन उसको लागू नहीं किया जा रहा है। उसको लेकर वहाँ पर रोज हल्ला होता है। सब लोगों को उनकी संख्या के अनुसार अधिकार किए जाने चाहिए। ऐसा भी किया जा सकता है कि फॉर्बर्ड क्लास के लोगों के लिए उनकी संख्या के आधार पर रिजर्वेशन कर दिया जाए। इससे किसी का हक नहीं मारा जाएगा। यह समस्या बहुत विकट हो रही है। इस लिए इस बारे में सरकार को पहल करनी चाहिए।

मुझे इस बात का दुख है कि मध्य प्रदेश के गवर्नर,** और जम्मू-काश्मीर के गवर्नर,** ने नवम्बर, 1983 में गवर्नर के पद पर रहते हुए हरिजनों और आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन का डट कर विरोध किया। लोग ऐसे पदों पर आसीन रहते हुए ऐसी तुच्छ भावना से कार्य करें, वह बहुत निन्दनीय है।

एक श्वेतपत्र, व्हाइट पेपर, पब्लिश करना चाहिए कि संविधान के अनुसार इस देश में हरिजनों और आदिवासियों को क्या मिलना चाहिए और उन्हें क्या दिया गया है। इससे वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी कि सरकार ने कांस्टीट्यूशन में दिए गए रिजर्वेशन के प्रावधान का कितना क्रियान्वयन किया है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य की भावना का समर्थन करता हूँ।

श्री हीरालाल आर० परमार (पाटन) :
उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री सूरज

भान, शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के लोगों के साथ रिजर्वेशन के बारे में हो रहे अन्याय को मिटाने के लिए जो बिल लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ और माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूँ। रिजर्वेशन चार जगह होता है : राजनैतिक, शिक्षा में, सर्विसिज में और रोजी-रोटी के लिए। आजादी के 36 सालों के बाद हम रिजर्वेशन नहीं चाहते। हमें उससे कोई फायदा नहीं है। वह हमें इस लिए दिया गया है कि लोग कुत्ते और बिल्ली को गोद में लेकर घूमते हैं, लेकिन इन्सानों को कमरे की बात तो छोड़िए, कुएं और तालाब पर नहीं जाने देते, उन्हें खटिया पर बैठने नहीं देते शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को आगे लाने के लिए उन्हें कानून के द्वारा रिजर्वेशन का जो अधिकार मिला है, उसमें कितनी दिक्कतें आ रही हैं।

गुजरात में 1981 में एन्टी-रिजर्वेशन आंदोलन चला, जिसमें 42 आदिमियों की मृत्यु हुई और दलितों का तीन करोड़ रुपए का नुकसान हुआ महात्मा गांधी ने 1935 में यह काम शुरू किया था। वहाँ पर दीवार इतनी ऊँची हो गई है कि हमने पचास साल तक जो प्रगति की थी, हम उससे सो साल पीछे हट गए हैं।

यह छुआछूत की दीवार हर जगह गांव-गांव में, दफ्तरों में, दुकानों में आगे बढ़ रही है। और राजनीति में भी एक नया दौर आ रहा है। हमारे यहाँ गुजरात में मोची जाती के लोग शेड्यूल्ड कास्ट नहीं हैं, अनटचेबल्स नहीं हैं क्योंकि वे तो ब्राह्मण, बनिया, राजपूतों की बस्ती में रहने वाले हैं और वे शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों से छुआछूत रखते हैं, वे उनके यहाँ पानी तक नहीं पीते हैं तथा वे विजनेस में लगे हुए हैं फिर भी उनको शेड्यूल्ड कास्ट में डाल दिया गया है। वे गांव पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायतों में टिकट ले रहे हैं। इस प्रकार से शेड्यूल्ड कास्टों में भी फर्क डालने की कोशिश की जा रही है।

इसी प्रकार से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां गुजरात में पिछले साल मेडिकल शिक्षा में 11 सीटें रिजर्व कोटे के लिए रखी गई थी जिनमें से 9 सीटें मोचियों को ही दे दी गईं और इस प्रकार से 35 लाख की हरिजन आबादी के लिए केवल 2 सीटें ही रह गईं। इस प्रकार का जो अन्याय होता है वह नहीं होना चाहिए। हमारी प्रधान मंत्री जी तो गरीबों को ऊपर उठाना चाहती हैं लेकिन उनके साथ इस प्रकार से अन्याय किया जाता है और छुआछूत की समस्या दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है।

इसी तरह से मैं आपके द्वारा इस बात की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गुजरात में शिक्षा के सम्बन्ध में यह नया कानून बना है कि पहले तथा दूसरे बच्चे को ही स्कालरशिप और फ्रीशिप दी जायेंगी, अन्य बच्चों को नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि तीसरे और चौथे बच्चे ने क्या गुनाह किया है जिसकी वजह से उनको स्कालरशिप फ्रीशिप नहीं दी जाएगी? शेड्यूल्ड कास्ट होने के नाते जो सुविधा उन बच्चों को मिलनी चाहिए उससे भी उनको वंचित किया जा रहा है। गुजरात में ऐसा नियम बनाया गया है जिसके द्वारा बच्चों के अन्दर भी भेद-भाव की नीति चलती जा रही है। केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि गुजरात सरकार से कहा जाना चाहिए कि इस प्रकार का नियम उचित नहीं है।

इसी प्रकार से आप देखें कि अगर पटवारी या शिक्षकों की भर्ती करनी होती है, मान लीजिए 200 जगह हैं तो सात परसेन्ट हरिजनों के लिए 14 स्थानों की लिस्ट अलग बनाई जायेगी। हालांकि बहुत सारी एप्लीकेशन्स आती हैं लेकिन फिर भी 14 लड़कों को ही लिया जाता है—यह सही नहीं है। देश में हरिजन आदिवासियों की 35-40 परसेन्ट आबादी है। मेरा निवेदन यह होगा कि 60 परसेन्ट जो बड़ी जातियों के लोग हैं उनके लिए आप उसी अनुपात में जगहें रिजर्व करके दे दीजिए और शेष जगहों को दूसरों के लिए आपेन छोड़ दीजिए

तो हमें कोई एतराज नहीं होगा।

इसी प्रकार से यहां दिल्ली में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइव के पार्लियामेंट मेंबरों के लिए डी० डी० ए० द्वारा फ्लैट्स बनाकर देने की व्यवस्था है और इसके लिए कई ऐसे मेम्बरों ने एप्लीकेशन्स भी दी हुई हैं लेकिन डी० डी० ए० द्वारा चार सौ पांच सौ मकान बनाकर जनरल कैटेगरी के लोगों को दे दिए गए परन्तु हम लोगों को आज तक कोई जवाब तक नहीं मिला है। मैं समझता हूं नियमों को पालन करने का यह कोई तरीका नहीं है।

अन्त में मेरा यह भी निवेदन है कि हमारे यहां राठवा कोली जाति को आदिवासी नहीं माना गया है, यह बड़ा अन्याय है। राठवा कोली को आदिवासियों में शामिल किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से बीमसूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 1-2 हजार के जो ऋण दिए जाते हैं उनके बड़े-बड़े जंक्शन होते हैं लेकिन इण्डस्ट्री वालों को 25 परसेन्ट सबसीडी के रूप में लाखों रुपये दे दिए जाते हैं जो कोई नहीं जान पाता। बीस सूत्री कार्यक्रम के अधीन हरिजनों और आदिवासियों को बहुत बड़ा फंशन करके दो-चार हजार रुपये दिए जाते हैं, अखबारों में बहुत बड़ी-बड़ी खबरें छपती हैं, लेकिन इससे फायदा बड़े लोगों को होता है। मेरी दृष्टि में यह तरीका भी अच्छा नहीं है। जहां तक सर्विसिज में प्रमोशन का ताल्लुक है, प्रमोशन में टाइम की सीमा को नहीं देखना चाहिए, ऐसे ही उनको प्रमोशन दे देना चाहिए। क्योंकि ऊपर वाले आफिसर जातिवाद के आधार पर कुछ रिमाक्स इस प्रकार के लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रमोशन नहीं हो पाता है।

माननीय सदस्य, श्री सूरज भान, जो बिल लाए हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उपाध्यक्ष महोदय आप को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में चन्द बातें श्री सूरज भान द्वारा प्रस्तुत बिल के समर्थन में कहना चाहता हूँ। मैं आंकड़ों के हेरफेर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि आंकड़े सदन में बहुत से लोगों ने सदन में पेश किए हैं। सरकार भी यह मानती है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को रिजर्वेशन में जो स्थान मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि सर्विसेज में नौकरी पाकर रोजी हासिल करने वालों की संख्या बहुत कम है। इसलिए इस बिल का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब कि सरकारी सर्विसेज के साथ-साथ पब्लिक-सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर में भी उनको रिजर्वेशन दिया जाए। जब मैं प्राइवेट सैक्टर की बात करता हूँ, तो मेरा मतलब पड़े प्राइवेट सैक्टर से है, प्राइवेट सैक्टर अपने तौर से कोई सर्विस नहीं कर रहा है, अपने तौर से कोई इण्डस्ट्रीज नहीं चला रहा है, इसमें सरकार के जो बैंकिंग सिस्टम हैं, एलआईसी है, इससे जुड़े हैं। उनसे ऋण लेकर ही सरकार के पैसे से प्राइवेट सैक्टर चल रहा है। इसलिए माननीय सदस्य, श्री सूरज भान से दरखास्त करूंगा कि इस बात को यदि वे इस बिल में जोड़ें तभी इसका मकसद पूरा होगा। जब प्राइवेट सैक्टर, पब्लिक सैक्टर और सरकारी सैक्टर तीनों में रिजर्वेशन को सरकार देखे। इस सम्बन्ध में यदि आगे भी बढ़ा जाए, जैसे लाइसेंस, कान्ट्रैक्ट में भी ऐसी बात की जानी चाहिए, इस तरह का प्रावधान होना चाहिए जिससे शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को इसमें हिस्सा मिल सके।

अब मैं प्राइम मिनिस्टर द्वारा 11 मई, 1983 को दी गई डायरेक्टिव के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। यह डायरेक्टिव स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के साथ सभी मन्त्रालयों को दी गई है, जिसमें भर्ती के सम्बन्ध में नियम बनाने को कहा गया है। जब भी कोई कमीशन भर्ती के

लिए क्लास-3 या दूसरे क्लासेस को बनाया जाए उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति तथा माइनोरिटीज के लोगों का एक-एक सदस्य रखा जाएगा। लेकिन अब तक जो जानकारी है या अब तक जो जवाब होम मिनिस्ट्री की तरफ से सदन के टेबिल पर रखे गये हैं, उन से पता चलता है कि बहुत कम मिनिस्ट्रीज ने इस पर अमल किया है, इस तरह प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव की अवहेलना खुद सरकार कर रही है।

1980 में डॉ॰ गोपाल सिंह की अध्यक्षता में एक कमीशन-हाई पावर्ड पैनल-के नाम से बनाया गया था। शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और माइनोरिटीज के लोगों को किस तरह से तरक्की दी जाय, किस तरह से इन को नौकरियों में जगह मिले—इन सब बातों पर विस्तार से गौर करने के लिये और रिक-मेण्डेशन देने के लिये यह कमीशन बनाया गया था। साल भर के करीब हुआ इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी। पिछले सत्र में जब मैंने इस पर सवाल किया तो मुझे कहा गया कि इसी सत्र में इस की रिपोर्ट सदन की टेबिल पर रख दी जयेगी। जहां तक मेरी जानकारी है—अभी तक यह रिपोर्ट सदन की टेबिल पर नहीं रखी गई है। इस से सरकार की नीयत बहुत साफ जाहिर होती है कि सरकार शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और माइनोरिटीज के लिये डिंडोरची का काम तो करती है लेकिन जहां अमल का सवाल आता है उस में पीछे हट जाती है। मैं चाहूंगा कि इन सब बातों पर सरकार ध्यान दे और अमल करे।

रिजर्वेशन का मज़ाक किस तरह से उड़ाया जाता है—मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। मेरे यहां फर्टिलाइजर कारपोरेशन में एक रिजर्व्ड जगह निकली—वह जगह उर्दू टीचर की थी। इन्होंने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की—उस पोस्ट का रिजर्व्ड कर दिया और यह सोचकर किया कि न शेड्यूल्ड

कास्ट्स या शेडयूल्ड ट्राइब्स का आदमी आयेगा और न वह जगह पूरी होगी। मेरे कहने का मकसद यह है कि इस तरह से एक तोर से दो शिकार करने की कोशिश की जाती है—इसके लिए जब तक शेडयूल्ड कास्ट्स, शेडयूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेज और माइनारिटीज के लोग लड़ेंगे नहीं, जद्दोजहद नहीं करेंगे, सरकार पर दबाव नहीं डालेंगे, यह काम होने वाला नहीं है। अगर इसमें कामयाब न हुए तो इलैक्शन आने वाले हैं, उसमें इसका जवाब देंगे—ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। मैं अभी भी आपके माध्यम से निवेदन करूँगा—सरकार को चाहिये कम से कम अपने किये हुए वायदे को, संविधान में इनके लिये जो प्रावजन हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करे और श्री सूरज भान जी के बिल को पास करके दिखाये की वह वाकई सीरियस है। इस सिलसिले में जो अमेण्डमेंट श्री डागा की तरफ से भूव किया गया है मैं उसका विरोध करता हूँ इसलिये विरोध करता हूँ कि यह टालने वाली बात है और टालने से अब काम बनने वाला नहीं है

श्री अशफाक حسین (महाराजगंज): اپادھیکش مہودے۔ میں سنکشیپ میں چند باتیں شری سورج بھان دوا پر ستوت بل کے سرکھن میں کہنا چاہتا ہوں۔ میں آنکڑوں کے ہیر پھیر میں نہیں پڑوں گا۔ کیونکہ آٹکڑے سدن میں بہت سے لوگوں میں پیش کئے ہیں۔ سرکار بھی یہ مانتی ہے کہ انوسوچت جاتی اور جن جاتی کے لوگوں کو ریزرویشن میں جو استحقاق ملنا چاہئے وہ نہیں مل رہا ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ سروسٹر میں نوکری پاکر روزی حاصل کرنے والوں کی تنکھیا بہت کم ہے۔ اس لئے اس بل کا اڈیشہ تھی پورا ہو گا جب کہ سرکاری سروسٹر کے ساتھ ساتھ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر بھی ان کو ریزرویشن دیا جائے۔ جب میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتا ہوں تو میرا مطلب بڑے پرائیویٹ سیکٹر ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر اپنے طور سے کوئی سروس نہیں کر رہا ہے۔ اپنے طور سے کوئی انڈسٹری نہیں چلا رہا ہے۔ اس میں سرکار کے جو بینکنگ سسٹم ہیں این۔ آئی۔ سی۔ ہے اس سے جڑے ہیں۔ ان سے دنی لے کر ہی سرکار کے پیسے

پرائیویٹ سیکٹر چل رہا ہے۔ اس لئے میں ماننے سے شری سورج بھان سے درخواست کروں گا کہ اس بات کو یادی وہ اس بل میں جوڑیں تھی اس کا مقصد پورا ہو گا۔ جب پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر اور سرکاری سیکٹر تینوں ریزرویشن کو سرکار دیکھے۔ اس سمبندھ میں یدی آگے بھی بڑھا جائے جیسے لائسنس کانٹریکٹس میں بھی ایسی بات کی جانی چاہئے اس طرح کا پرا ددھان ہونا چاہئے جس سے شیڈیولڈ کاسٹس اور شیڈیولڈ ٹرائبس کے لوگوں کو اس میں حصہ مل سکے۔

اب میں پرائیویٹ منسٹر دارا ۱۱ مئی ۱۹۸۳ء کو دی گئی ڈائریکٹری کے سمبندھ میں کہنا چاہوں گا۔ یہ ڈائریکٹری اسٹیٹ کے جیف منسٹر کے ساتھ بھی منسٹریوں کو دی گئی ہے جس میں بھرتی کے سمبندھ میں نیم بنانے کو کہا گیا ہے جب بھی کوئی کمیشن بھرتی کے لئے کلاس ۳ یا دوسرے کلاسز کی بنایا جائے اس میں انوسوچت جاتی اور جن جاتی تھما مانسٹرائیز کے لوگوں کا ایک ایک سدر سے رکھا جائے گا۔

لیکن اب تک جو جانکاری ہے یا اب تک جو جواب ہوم منسٹری کی طرف سے سدن کے ٹیبل پر رکھے گئے ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ بہت کم منسٹرینے اس پر عمل کیا ہے۔ اس طرح پرائیویٹ منسٹر کے ڈائریکٹری کی اوہیلنا خود سرکار کر رہی ہے۔

۱۹۸۰ء میں ڈاکٹر گوپال سنگھ کی ادھیکشتا میں ایک کمیشن ہائی پاورڈ پینل کے نام سے بنایا گیا تھا۔ شیڈیولڈ کاسٹس شیڈیولڈ ٹرائبس اور مانسٹرائیز کے لوگوں کو کس طرح سے ان کو نوکریوں میں جگہ ملے۔ ان سب باتوں پر دستار سے غور کرنے کے لئے اور کمیشن دینے کے لئے یہ کمیشن بنایا گیا تھا۔ سال بھر کے قریب ہو اس کمیشن نے اپنی رپورٹ دے دی۔ پچھلے ستر میں اس کی رپورٹ سدن کی ٹیبل پر رکھ دی جائے گی جہاں تک میری جانکاری ہے ابھی تک یہ رپورٹ سدن کی ٹیبل پر نہیں رکھی گئی ہے۔ اس سے سرکار کی نیت بہت صاف ظاہر ہوتی ہے کہ سرکار شیڈیولڈ کاسٹس شیڈیولڈ ٹرائبس اور مانسٹرائیز کے لئے ڈھنڈو رچی کا کام تو کرتی ہے لیکن وہاں عمل کا سوال آتا ہے اس میں پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ان سب باتوں پر سرکار دھیان دے اور عمل کرے۔

(۱۵)

ریزرویشن کا مذاق کس طرح سے اٹایا جاتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ میرے یہاں فریڈلانڈز کا رپوریشن میں میں ایک ریزروڈ جگہ نکلی۔ وہ جگہ اردو ٹیچر کی تھی۔ انہوں نے ایک تیرے دو شکار کرنے کی کوشش کی۔ اس پوسٹ کو ریزروڈ کر دیا اور یہ سوچ کر کیا کہ شیڈیولڈ کاسٹس یا شیڈیولڈ ٹرائبس کا آدمی

آئے گا اور نودہ جگہ پوری ہوگی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے ایک تیرے دشکار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے لئے جب تک شیڈیولڈ کاسٹس شیڈیولڈ ٹرائبس بیکورڈ کلاسز اور مانٹریٹرز کے لوگ نہیں گئے نہیں جدوجہد نہیں کریں گے سرکار پر دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ اگر اس میں کامیاب نہ ہوئے تو ایکشن آنے والے ہیں اس میں اس کا جواب دیں گے۔ ایسا میں دشوار رکھتا ہوں۔ میں اب بھی آپ کے مادیہم سے نویدن کر دوں گا۔ سرکار کو چاہئے کہ کم سے کم اپنے لئے ہونے والے وعدے کو سنویدھان میں ان کے لئے جو پروازن ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور شری سوج بھان جی کے بل کو پاس کر کے دکھائیے کہ وہ واقعی سیریس ہیں۔ اس سلسلے میں جو اینڈمینٹ شری ڈاگا کے طرف سے مود کیا گیا ہے میں اس کا درد دھ کرتا ہوں۔ اس لئے درود کرتا ہوں کہ یہ ٹالنے والی بات ہے اور ٹالنے سے اب کام بننے والا نہیں ہے۔

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो इस वक्त डिस्कस हो रहा है मैं उस के बारे में चन्द बातें कहना चाहता हूँ। जहाँ तक बिल की स्प्रिट का सवाल है, बहुत अच्छी बात है। इस में कोई शक नहीं कि इस मुल्क को आजाद हुए 35-36 साल हो गये हैं, इस दौरान जो फायदे कम्युनिटीज या क्लासेज ने उठाये हैं, उन को शेड्यूलड कास्ट्स, शेड्यूलड ट्राइब्स और माइनारिटीज के लोग नहीं उठा पाये हैं। उन को ये सहूलियात जरूर मिलनी चाहिये और इसी सिलसिले में आप को मालूम है कि हम जो दूरदराज के पहाड़ी इलाकों जैसे लद्दाख के रहने वाले लोग हैं पिछले कई सालों से इस कैटेगरी में और खासतौर से शेड्यूलड ट्राइब्स की कैटेगरी में शामिल होने के लिये बहुत जद्दोबहद करते आये हैं। केन्द्रीय सरकार ने भी यह मान लिया है कि लद्दाख रीजन के लोगों को हम शेड्यूलड ट्राइब्स का स्टेटस दे देंगे वशर्ते कि जम्मू व काश्मीर सरकार आर्टीकिल 342 के तहत जो कान्फ्रेंस लेनी होती है, वह अपनी कान्फ्रेंस दे दे। यह एक लम्बी कहानी है और खसूसी तौर पर सेठी साहब इस को

अच्छी तरह से जानते हैं। कभी सेन्टर स्टेट की तरफ केश को फेंक देता है और कभी स्टेट सेन्टर की तरफ फेंक देती है और यह अभी तक पता नहीं लग पाया है कि इस की क्या फेट होगी। जम्मू व काश्मीर सरकार कहती है कि हम ने सेन्टर से इस की कोई क्लेरीफिकेशन मांगी है लेकिन वह आ नहीं रही है। पालिटीकल लेबिल पर वे इस को एक्सप्लायट कर रहे हैं और मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे जल्दी से जल्दी इस का क्लेरीफिकेशन दें ताकि जम्मू काश्मीर में हम को भी जो थोड़ा बहुत फायदा इसका मिलता है, वह मिले।

जहाँ तक इस बिल का सवाल है, मैं इस की मुखालफत नहीं करता हूँ लेकिन मैं यह समझता हूँ कि यह काम्प्रीहेंसिव नहीं है और इस में कई कमियां हैं। इन को एक काम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहिए था। मिसाल के तौर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि आर्टीकिल 25 जो है, वह मजहबी सिखों के लिए उस में स्पेशल प्रोविजन है लेकिन बाकी जो कम्युनिटीज हैं, उन को वे फौसीलिटीज एवेलेबिल नहीं हैं। हमारे प्रीएम्बल में सेकूलरिज्म की बात कही गई है और हमारे संविधान (Constitution) में हर एक मजहब के लोगों को बराबरी के हकूक हासिल हैं लेकिन अगर कोई हरिजन दूसरा मजहब अदर देन सिख अख्तियार कर लेता है, तो वह उन सारी फौसीलिटीज को, जोकि शेड्यूलड कास्ट्स और शेड्यूलड ट्राइब्स को प्राप्त है, लूज कर देता है। वह अपने पेशे को ओवरनाइट बदल नहीं लेता है और वह ओवर नाइट हार्ड क्लास का नहीं बन जाता है और उस की इको-नामिकल कंडिशन भी एक दम ठीक नहीं होती हैं लेकिन अपने कुछ कनक्विशन की वजह से वह अगर मजहब चेन्ज कर लेता है, तो फिर सारी फौसीलिटीज को खो बैठता है लेकिन अगर वह सिख बन जाए, तो वे फौसीलिटीज बदस्तूर बनी रहती हैं। इस चीज की तरफ में इशारा करना चाहता हूँ कि अगर वह मजहब बदल कर दूसरे मजहब में चला जाता

है, दूसरी बिरादरी में चला जाता है, तो उस की फंसिलिटीज वही रहनी चाहिए और उन को खोना नहीं चाहिए।

बाकी जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है, हमारे कांस्टीट्यूशन की आर्टिकल्स 341 और 342 के तहत और प्रेजीडेन्शियल आर्डर, 1950 के तहत जो रूल्स बनाए गये हैं, उन के मुताबिक शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को 15 पर सेन्ट और साढ़े 7 पर सेन्ट रिजर्वेशन एवेलेबिल है।

हां, अलवत्ता किसी कानून या एक्ट की शक्ल में वह नहीं है। लेकिन फिर भी फंसिलिटी होने के बावजूद भी बहुत सारी पोस्ट्स फिल-अप नहीं होतीं। इसकी कई बज्जुहात हैं। एक तो एजुकेशनल है और दूसरी कम्युनिकेशन की कमी की है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ज्यादातर लोग जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं और उनकी मुश्किलात यह है कि उनके यहां कम्युनिकेशन की बहुत कमी है। यह भी उनकी एक सब से बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई केण्डीडेट तालीमी काविलियत रखता है और उसको वक्त पर किसी पोस्ट की इत्तिला नहीं मिलती है, या किसी इन्टरव्यू का जो टाईप फिक्स है, उनके बाद उसकी उसको इत्तिला मिलती है, कभी-कभी तो यह इत्तिला महीने भर बाद मिलती है, इसकी वजह से इसको जो अपारचुनिटी मिली है वह भी मिस हो जाती है तो ऐसी हालत के लिए सरकार कोई तरीका निकाले जिससे कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऐसे केण्डीडेट्स को यह फंसिलिटी मिलती रहे। जहां तालीमी काविलियत हो लेकिन कम्युनिकेशन की कमी की वजह से उन लोगों को फायदा नहीं मिलता है, उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। उनको आगे लाने के लिए आपने कुछ फंसिलिटीज दे रखी हैं, लेकिन ऐसी हालत में वे लोग जो फंसिलिटीज का फायदा नहीं उठा पाते हैं, उनको और फंसिलिटीज देने की जरूरत है।

इसके अलावा इस बिल में बहुत सारी अच्छी तजवीजें पेश की गई हैं। मिसाल के तौर

पर सेक्शन आठ क्लॉज तीन में कहा है कि जो एडहाक एपॉइंटमेंट के बारे में है वह एक अच्छी बात है। इस ओर सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। यह ठीक है कि कई बार ऐसा होता है कि सुटेबल केण्डीडेट अवेलेबल नहीं होते हैं, उनके लिए स्पेशल एडहाक एपॉइंटमेंट करनी पड़ती है। लेकिन जब भी उन पोस्टों के लिए सुटेबल केण्डीडेट शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मिल जाएं तो उन एडहाक एपॉइंटमेंट को डिसकंटीन्यू कर दिया जाना चाहिए और उन पर शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को रखा जाना चाहिए।

इसी तरह से श्री सूरज भान जी ने और जो प्वाएंट हार्ड-लाईट किये हैं वे अच्छे हैं। इस बिल का जो स्प्रिट है, वह भी बहुत अच्छा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यह एक कंप्रीहेंसिव बिल नहीं है। मिनिस्टर साहब इसके बारे में सोचें और सरकार अच्छे ढंग से एक फुलप्रुफ बिल लाये जिससे कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जो फंसिलिटीज मिलनी चाहिए; वे मिलें और उनको जो मुश्किलात हैं; जिनको कि हार्डलाईट किया गया है; वे दूर हों।

इन अल्फाज के साथ मैं आनरेबुल मिनिस्टर साहब से यह चाहूंगा कि वे यह बताएं कि क्या उनका इन्टेशन बिल लाने का है या नहीं और जो फंसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए वे उनको देनी हैं या नहीं। इसके साथ साथ जो प्वाएंट मैंने अपनी कांस्टीच्युएन्सी से ताल्लुक रखने वाले रोज किये हैं जो कि लड़ाख लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइव का दर्जा देना है; उस सिलसिले में भी कदम उठाने की जरूरत है। इसके पोलिटिकल लेबल पर एक्सप्लोट किया जा रहा है; हालांकि यह इकोनॉमिक मसला है। आपको इसको एक्सप्लोट करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए और इसके बारे में जल्दी से जल्दी कदम उठाये जाने चाहिए।

इसके साथ ही मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे टाइम दिया।

شری پی۔ نام گیال (لداخ) : پادھیکش مہودے۔ یہ بل جو اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے میں اس کے بارے میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں جہاں تک اس بل کی اسپرٹ کا سوال ہے بہت اچھی بات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک کو آزاد ہونے کا ۳۵-۳۶ سال ہو گئے ہیں۔ اس دوران جو فائدے دوسری کمیونٹیز یا کلاسز نے اٹھائے ہیں ان کو شیڈیولڈ کاسٹس شیڈیولڈ ٹرائبس اور مانٹاریز کے لوگ نہیں اٹھاپاتے ہیں۔ ان کو یہ سہولیات ضرور ملنی چاہئیں اور اس سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو دور دراز کے پہاڑی علاقوں جیسے لداخ کے رہنے والے لوگ ہیں پچھلے کئی سالوں سے اس کمیونٹیز میں اور خاص طور سے شیڈیولڈ ٹرائبس کی کمیونٹیز میں شامل ہونے کے لئے بہت جدوجہد کرتے آئے ہیں۔ کینڈیہ سرکار نے بھی یہ مان لیا ہے کہ لداخ رجمن کے لوگوں کو ہم شیڈیولڈ ٹرائبس کا اسٹیٹس دے دیں گے بشرطیکہ جنوں و کشمیر سرکار آرٹیکل ۳۴۲ کے تحت جو (Concurrence) کانفرنس لین ہوتی ہے وہ کانفرنس دے دیتے یہ ایک لمبی کہانی ہے اور خصوصی طور پر بیٹی صاحب اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کبھی سینٹ اسٹیٹ کی طرف کیس کو پھینک دیتا ہے اور کبھی اسٹیٹ سینٹر کی طرف پھینک دیتی ہے۔ اور یہ ابھی تک پتہ نہیں لگ پایا ہے کہ اس کی کیا (نتیجہ) فیٹ ہوگی۔ جموں و کشمیر سرکار کہتی ہے کہ ہم نے سینٹر سے اس کی کوئی کلیئر نکلشن مانگی ہے لیکن وہ آ نہیں رہی ہے۔ پولیٹیکل لیول پر یہ اس کو ایکسپلٹ کر رہے ہیں۔ اور میں سنتری جی سے کہوں گا کہ وہ جلدی سے جلدی اس کا کلیئر نکلشن دیں تاکہ جنوں و کشمیر میں ہم کو بھی جو تھوڑا بہت فائدہ اس کا ملتا ہے وہ ملے۔

جہاں تک اس بل کا سوال ہے میں اس کی مخالفت نہیں کرتا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمپرومیسو نہیں ہے اور اس میں کمی کیا ہے۔ ان کو ایک کمپرومیسو بل لانا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آرٹیکل ۲۵ جو ہے مذہبی سکھوں کے لئے اس میں اسپیشل برادریز ہے لیکن باقی جو کمیونٹیز ہیں ان کو وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں۔ ہمارے پری لمبل میں سیکولرزم کی بات کہی گئی ہے اور ہمارے (Constitution) خود جان میں ہر ایک مذہب کے لوگوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں لیکن اگر کوئی ہرچن دوسرا مذہب آدریں سکھ اختیار کر لیتا ہے تو وہ ان ساری فیسلٹیز کو جو کہ شیڈیولڈ کاسٹس اور شیڈیولڈ ٹرائبس کو ہر بات میں ملتا ہے وہ اپنے

پیشے کو اور نامٹ بدل نہیں لیتے ہیں اور وہ اور نامٹ ہائی کلاس کا نہیں بن جاتا ہے اور اس کی اکا نامیکل کنڈیشن بھی ایک دم ٹھیک نہیں ہوتی ہیں لیکن اپنے کچھ کنٹیشن کی وجہ سے وہ اگر مذہب چن کر لیتا ہے تو پھر ساری فیسلٹیز کو کھو بیٹھتا ہے لیکن اگر وہ سکھ بن جائے تو وہ فیسلٹیز بدستور بنی رہتی ہیں۔ اس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ مذہب بدل کر دوسرے مذہب میں چلا جاتا ہے دوسری برادری میں چلا جاتا ہے تو اس کی فیسلٹیز وہی رہنی چاہیے اور ان کو اس کو کھو نا نہیں چاہیے۔

باقی جہاں تک رزرویشن کا سوال ہے۔ ہمارے کانٹی ٹینشن کی آرٹیکل ۳۴۱ اور ۳۴۲ کے تحت اور پریزیڈنٹیل آرڈر ۱۹۵۰ کے تحت جو رولس بنائے گئے ہیں۔ ان کے مطابق شیڈیولڈ کاسٹس اور شیڈیولڈ ٹرائبس کے لوگوں کو ۱۵ پرسینٹ اور ساڑھے سات پرسینٹ رزرویشن اویلیبل ہے۔

ہاں البتہ کسی قانون یا ایکٹ کی شکل میں وہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی فیسلٹی ہونے کے باوجود بھی بہت ساری پوسٹس فل آپ نہیں ہوتیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو ایکجو کیشنل ہے اور دوسری کمیونیکیشن کی کمی ہے۔ شیڈیولڈ ٹرائبس کے زیادہ تر لوگ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں اور ان کی مشکلات یہ ہیں کہ ان کے یہاں کمیونیکیشن کی بہت کمی ہے۔ یہ بھی ان کی ایک سب سے بڑی پرالہم ہے۔ اگر کنڈیڈٹ تعلیمی قابلیت رکھتا ہے اور اس کو وقت پر کسی پوسٹ کی اطلاع نہیں ملتی ہے یا کسی انٹر ویو کا جو ٹائم فکس ہے اس کے بعد اس کی اس کو اطلاع ملتی ہے۔ کبھی کبھی تو یہ اطلاع

پہنچنے میں تاخیر ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کو جو اپر چیونٹی ملتی ہے وہ بھی اس میں جاتی ہے تو ایسی حالت کے لئے سرکار کوئی طریقہ نکالے جس سے کہ شیڈیولڈ کاسٹس اور شیڈیولڈ ٹرائبس کے ایسے کینڈیڈٹس کو یہ فیسلٹی ملتی رہے۔ جہاں تعلیمی قابلیت ہو لیکن کمیونیکیشن کی وجہ سے ان لوگوں کو فائدہ نہیں ملتا ہے ان کے بلکہ میں سرکار کو سوچنا چاہیے۔ ان کو آگے لانے کے لئے آپ نے کچھ فیسلٹیز دے رکھی ہیں لیکن ایسی حالت میں وہ لوگ جو فیسلٹیز کا فائدہ نہیں اٹھاپاتے ہیں ان کو اور فیسلٹیز دینے کی ضرورت ہے۔

اس کے علاوہ اس بل میں بہت ساری اچھی تجویزیں پیش کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر سیکشن آٹھ کلاز میں میں کہا ہے کہ جو ایڈہاک اپائنٹمنٹ کے بارے میں ہے وہ ایک اچھی بات ہے۔ اس اور سرکار کو توجہ دینی چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سویٹل کینڈیڈٹ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں ان

के लिये اسپیشل ایڈہاک اپائنٹمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جب بھی ان پوسٹوں کے لئے سوشل سیکورٹیڈ ٹیڈ یولڈ کاسٹس اور ٹیڈ یولڈ ٹرانس کے مل جائیں تو ان ایڈہاک اپائنٹمنٹ کوڈس کینٹینو کر دیا جانا چاہیے اور اس ٹیڈ یولڈ ٹرانس کے لوگوں کو رکھا جانا چاہیے۔

اس طرح سے شری سورج بھان جی نے اور جو پوائنٹ بائی لائن کے ہیں وہ اچھے ہیں۔ اس بل کا وائسٹ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک کمپریہنسیو بل نہیں ہے۔ مسٹر صاحب اس بل کے بارے میں سوچیں اور سرکار اچھے ڈھنگ سے ایک فول پروف بل لائے جس سے کہ ٹیڈ یولڈ کاسٹس اور ٹیڈ یولڈ ٹرانس کے لوگوں کو یونیسیٹرنلنی چاہیے وہ ملیں اور ان کی جو مشکلات ہیں جن کو کہ ہائی لائن کیا گیا ہے وہ دور ہوں۔

ان الفاظ کے ساتھ میں آئریبل مسٹر صاحب سے یہ چاہوں گا کہ وہ یہ بتائیں کہ کیا ان کا اینیشن بل لانے کا ہے یا نہیں اور جو فیسیٹران کو ملنی چاہیے وہ ان کو دینی ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پوائنٹ میں نے اپنی کانسٹیوینسی سے تعلق رکھنے والے ریزکٹس ہیں جو کہ لداخ کے لوگوں کو ٹیڈ یولڈ ٹرانس کا درجہ دینا ہے۔ اس سلسلے میں بھی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس کو پولیٹیکل لیول پر ایکسپلوٹ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ اکا نامک مسئلہ ہے۔ آپ کو اس کو ایکسپلوٹ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہئے اور اس کے بارے میں جلدی سے جلدی قدم اٹھائے جانے چاہئے۔

اس کے ساتھ ہی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے

تاکم دیا۔

16.42 hrs.

[SHRI R. S. SPARROW in the Chair]

MR. CHAIRMAN : The time fixed for this Bill has expired. So, the House will have to consider to extend the time. Shall we extend it by one hour? I think one hour will be sufficient. At 6 O'Clock, we have to adjourn the House. If you agree we may extend the time by one hour. We may try to finish this, if possible.

SOME HON. MEMBERS : Yes.

MR. CHAIRMAN : Please try to be as brief as possible so that we can finish it.

Shri Girdhari Lal Vyas.

श्री गरधारीलाल व्यास (भीमवाड़ा) : सभापति महोदय, श्री सूरज भान जी जो बिल लाए हैं, इसकी भावना बहुत अच्छी है और हम सब लोग इस भावना के साथ हैं। मगर उसमें कुछ कमियां भी हैं। जब तक इन कमियों को दूर नहीं किया जाएगा तब तक इसको एक अच्छा बिल नहीं कहा जा सकता।

सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस भावना के साथ इन्होंने यह बिल प्रस्तुत किया है, उसके साथ पालिटिक्स भी इन्होंने जोड़ दी है। शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के अपलिफ्टमेंट के लिए यह किया गया होता तो निश्चित तरीके से हम इसमें सहायता करते और अपना पूरा सहयोग देते, मगर पालिटिक्स इसमें जोड़ दी गई है।

जब कांग्रेस गवर्नमेंट सन् 1980 में यहां पर आई तो यहां पर सबसे पहला कदम क्या उठाया? अगर उसके दिमाग में शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के प्रति हमदर्दी नहीं होती तो सबसे पहला बिल 1980 में रिजर्वेशन का पास क्यों किया जाता। इसलिए यह कहना कि कांग्रेस के दिमाग में इनके प्रति, इनकी उन्नति के लिए कोई बात नहीं है, यह बात ठीक नहीं है। सबसे पहला बिल यही लाया गया जिसकी वजह से 10 साल के लिए रिजर्वेशन और बढ़ा, जब कि आपने कहा कि डबल कांस्टीट्यूटेंसी को सिंगल कर दिया। जिससे रिजर्वेशन समाप्त करने पर अग्रसर होना कहा है।

हमारी पार्टी की भावना यह है कि जो दबे हुए पिछड़े हुए लोग हैं उनको ऊपर उठाया जाए। आज से नहीं, जब से कांग्रेस बनी है तभी से उनकी यही भावना रही है। बराबर हमारा यही प्रयत्न चला आ रहा है। उसी वजह से आज जितने भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं सब इन्हीं लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम भी इन्हीं लोगों के लिए चलाया जा रहा है। ये सब प्रयत्न गरीब आदमी और खास तौर से शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स को

ऊपर उठाने के लिए चलाए जा रहे हैं। बराबर उनकी आर्थिक हालत को सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि कम से कम परिवार को एक आदमी का काम मिल जाए। इससे उनकी रोजी-रोटी ठीक प्रकार से चल सके। यह व्यवस्था कांग्रेस की सरकार ने इंदिराजी की सरकार ने की है। इसलिए यह बात कहना कि कांग्रेस के दिलोदिमाग में यह चीज नहीं है कि शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स को ऊपर उठाया जाए, ऐसा नहीं है।

हम मानते हैं कि अभी भी कुछ कमियां हैं। लेकिन उन कमियों को दूर करने के लिए आप सुझाव दीजिए। हम भी दे रहे हैं। कैसे उन कमियों को दूर किया जाए ताकि उनको वाजिब हक मिल सके। इन प्रकार का प्रयत्न किया जाना चाहिए। जैसे आपने बताया कि सर्विसेस में, प्रथम, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सर्विसेस में इनको पूरा स्थान दिया जाना चाहिए। फोर्थ क्लास के लिए जैसा बताया गया कि 20-25 हजार पदों को अनरिजर्व्ड कर दिया गया है। अगर इस तरह की बात है तो होम मिनिस्टर साहब को अवश्य इस चीज को देखना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी में तो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स का कोई भी आदमी जा सकता है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ निश्चित तरीके से कार्यवाही की जानी चाहिए।

फर्स्ट सैकण्ड या थर्ड ग्रेड में जहां एक्सेलेबिलिटी नहीं है और जो प्रापुलेशन के आधार पर परसेंटेज दिया कि इतना रिजर्वेशन होना चाहिए, उसमें अगर कमी है तो हमारी सरकार बराबर कोशिश कर रही है कि उन स्थानों पर बराबर एडजस्टमेंट किया जाए। उनको लगाया जाए ताकि रिजर्वेशन की पूर्ति हो। कानून में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो गड़बड़ी पैदा कर सकती हैं। एक तो सैक्शन-6 में कहा गया है :

Exchange of reservation between communities.

जब शेड्यूल्ड कास्ट्स का व्यक्ति न मिले तो शेड्यूल ट्राइब्स का बना दिया जाए। इसी प्रकार शेड्यूल ट्राइब्स का न मिलने पर शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को भर्ती कर दिया जाए। इसमें बड़ी कठिनाई है। बहुत से शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों में भी ऐसे वाले लोग हैं। उसमें ऐसी कम्युनिटी है, जो मालदार हैं। हमारे राजस्थान में जैसे मीणा जाति के लोग हैं। वे, जाट, ब्राह्मण और गूजर से भी ऊपर हैं। आई० ए० एस० या आई० पी० एस० में सब यही लोग सिलेक्ट होते हैं। पढ़े-लिखे और सम्पन्न लोग भी हैं। शेड्यूल्ड कास्ट्स की जगह छोड़ दी तो सारे के सारे ये ही बन जायेंगे। और गरीब लोग उससे वंचित रह जायेंगे। पांच परसेंट की जो कमी रह जाती है उसको आगे के लिए ब्राट फाखर्ड कर दीजिए। तीन साल में कमी पूरी हो सकती है। ऐसी व्यवस्था मत कीजिए जिससे गरीब लोगों को सहूलियत न मिल सके। यह कहा गया है कि रिजर्व्ड सीट्स के लिए शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं और तीन साल के बाद जनरल कैटेगिरी से फिल-अप करके वाद में कुछ समय के बाद उनको हटा दिया जाए। इससे बहुत बड़ी लोगों को तकलीफ होगी। आज एक आदमी को रिजर्व्ड सीट में से साढ़े बाइस या तेईस परसेंट रिजर्वेशन मिलता है। दो-तीन साल बाद जनरल कैटेगिरी से भर दिया, साल भर बाद एक्सेलेबल हो गए और फिर उन लोगों को निकाल दिया तो इससे कितनी बड़ी परेशानी होती है। जितनी परसेंट सीट्स पर एक्सेलेबिलिटी नहीं है, उनको कैरी-फारवर्ड कर दीजिए। जब भी एक्सेलेबल हो, उनकी पूर्ति कर दी जाए। इस प्रकार की व्यवस्था से निश्चित ही लाभ मिलेगा। सैक्शन-10 में कहा गया है :

“(3) In the absence of wider choice and where the number of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates is either equal to or less than the number of vacancies, they shall be

considered suitable and recruited to the extent against those vacancies if they possess the minimum qualifications required for the posts or services."

उसके बाद प्रोविजनों में कहा गया है कि दस पर-सेंट कम करके उसके जरिए से फिल-अप कर दी जाए। "...but have failed in the prescribed test shall be arranged in the order of their merit and recruited on probation against such or remaining vacancies..."

जो फेल हो जाते हैं उनको भी आर्डर आफ मैरिट में रखा जाता है। इस प्रकार के प्रावधान से हमारी सर्विस में बड़ा डिटीरियोरेशन हो रहा है। आपने जो कहा है कि इंस्टीट्यूशंस खोलकर, उनको एजुकेट करके उस लेबल पर लाया जाए जिससे एफीशिएंसी में फर्क न आए, यह अच्छा है, लेकिन आपका जो रिजर्वेशन है, उसको कम करने की भावना है। अगर डिटीरियोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन में आता है तो उससे व्यवस्था गड़बड़ हो जायेगी। लैस मैरिट वालों को आर्डर आफ मैरिट में रख लिया तो उससे व्यवस्था ठीक नहीं होगी। इसके बाजय में सरकार को सुझाव दूंगा कि आप नये-नये इंस्टीट्यूशंस खोलकर उनको एजुकेट कीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको एक्जाम्स के लिए तैयार कीजिए, उनको स्कालरशिप दीजिए ताकि वे लोग उस काडर में आ सकें और पास होकर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की एफीशियेंसी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। इस प्रकार की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है।

इसके बाद मैं कुछ निवेदन प्रमोशन्स के बारे में करना चाहता हूं जो कि सीनियरिटी और मैरिट के आधार पर होते हैं। सारे प्रमोशन्स सीनियरिटी और मैरिट के आधार पर ही होंगे। शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए अलग सीनियरिटी हो और जनरल कैटेगरीज की अलग सीनियरिटी हो। मगर जहां सलैक्शन का मामला आये, जहां मैरिट के आधार पर सलैक्शन किया जाता है, उसमें किस तरीके से प्रोमोशन रखा जाए ताकि प्रमोशन में सभी को चांस मिल सके, वह कंमीडर करने की आवश्यकता है। जहां मैरिट का प्रश्न

हो, वहां मैरिट के आधार पर व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे जनरल मामले में हो या शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मामले में हो। यदि इसमें कोई गड़बड़ होती है तो वह ठीक नहीं होगी। इसके बाद आपने एक सुझाव यह दिया कि स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाए जिसकी चेयरमैन हमारी प्रधानमंत्री महोदया हों। होम मिनिस्टर साहब तथा एक-दो पार्लियामेंट के मੈम्बर उसके सदस्य हों। वैसे यह सबजेक्ट तो पहले ही हमारे होम मिनिस्टर साहब के पास है, वे उसको पहले से ही देखते हैं और उनकी निगरानी में सारा कामकाज चलता है। इसलिए इस कमेटी को बनाने की मैं कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता। फिर हमारी प्राइम मिनिस्टर महोदया भी इतनी ज्यादा पहले से ही बिजी हैं कि उनको आपकी इस कमेटी के लिए समय ही नहीं है और उनको समय न मिलने की वजह से यह कमेटी एक तरह से डिफेक्ट सी हो जाएगी और उसका कोई फायदा नहीं मिल सकेगा। इसलिए हमें उसके बदले कोई ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो बराबर काम करती रहे और बराबर चलती रहे। ताकि उसका फायदा कुछ मिल सके, वह केवल नाम के लिए न हो। इस प्रकार की कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने गफलत करने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में इसमें 15 दिन की सजा और 500 रु० का जुर्माना देने की सजा रखी है जो मैं समझता हूं बहुत कम है। जो अधिकारी कायदे कानून के विपरीत जाकर काम करे, हमारे कांस्टीट्यूशन ने जिस को वैलिडिटी दी हुई है, यदि उसके खिलाफ कोई आदमी काम करता है तो उसको निश्चित रूप से सख्त-से-सख्त सजा मिलनी चाहिए। यह पन्द्रह दिन की सजा और 500 रु० जुर्माना तो बहुत मामूली है। उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि उसको आगे के लिए शिक्षा मिले और दोबारा वैसा करने से वह हिचकिचाये। कानून के खिलाफ वह काम न करे। बराबर कानून का पालन करे। ताकि शेड्यूल्ड

कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को किसी तरह की तकलीफ न हो। ऐसी व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है उसको कम से कम 20 साल की सजा या उम्र कैद होनी चाहिए। इस प्रकार की उसको सजा दीजिए ताकि आगे के लिए इवारत हो सके।

आखिर में, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे कई भाईयों ने यहां पर मण्डल कमीशन की चर्चा की है कि सरकार उसकी सिफारिशों को लागू नहीं कर रही। हमारे यहां शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों में लगभग 95 प्रतिशत पावर्टी लाइन के नीचे हैं, उनको तो रिजर्वेशन मिलना वाजिब है और जरूर मिलना चाहिए मगर कुछ दूसरे लोग जो बैंकवर्ड क्लास में आते हैं, हमसे भी ज्यादा आगे हैं। कई जाट, गुजर, अहीर, यदि देखा जाए तो ब्राह्मण, महाजन या राजपूतों के मुकाबले काफी ऊपर हैं। यदि हमने उनको रिजर्वेशन दे दिया तो दूसरों को कहां छोड़ेंगे। इसलिए रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहां बहुत से ब्राह्मण भिक्षा मांगते हैं, कई राजपूत खेती करते हैं और कई बनिये तकड़ी लेकर गांव-गांव घूमते हैं ताकि दो-चार रुपये का अपना सामान बेच सकें। इसलिए रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर होना चाहिए। मण्डल कमीशन की रिपोर्ट में जाति के आधार पर उसको बड़े पैमाने पर फैलाने की कोशिश की गई है, जिससे जगह-जगह जातिवाद फैलता है। आप यू. पी. और बिहार में जाकर देख लीजिए, कहीं-कहीं तो लोग पोलिंग बूथ्स पर कब्जा कर लेते हैं और हरिजन लोगों को वोट तक नहीं डालने देते। अगर ऐसे लोगों को रिजर्वेशन मिल गई तो सारी सरकारी मशीनरी पर उनका अधिकार हो जाएगा, सारी सर्विसेज पर वे हावी हो जाएंगे और फिर हमारा पता नहीं चलेगा। इस लिए हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जो माइनोरिटीज में गरीब लोग हैं, उनको आगे लाया जा सके। हमारे कई मुस्लिम भाई यहां पर हैं। गांवों में इन माइनोरिटीज के लोगों का

हाल आप जाकर देखिए। वह और भी ज्यादा खराब है।

17.00 hrs.

वैसे लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिले और दूसरी जातियों में जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनको पहनने के लिये कपड़ा नहीं, खाने के लिये रोटी नहीं, रहने के लिये मकान नहीं, ऐसे लोगों की व्यवस्था न सोचें और जाति के आधार पर लोगों को पनपाने की कोशिश करें तो यह बात ठीक नहीं है।

हमारे कम्युनिस्ट भाई इसका फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने भी कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो। अगर उसे लागू कर दिया तो तुम्हारा किसी का पता नहीं लगेगा, सब लोग गायब हो जायेंगे। इसलिये आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट की बात मत करिये। आपकी जो ध्योरी है, जो आप विश्वास रखते हैं कि आर्थिक तरीके से जो कमजोर हों, उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिये, वह ठीक है। जो लोग विलो पावर्टी लाइन 48 परसेंट लोग देश में हैं, उनकी आर्थिक हालत सुधरे वह आगे बढ़ें, इस भावना से काम करेंगे तो फायदा होगा।

इसलिये मेरा सूरजभान जी से निवेदन है कि वह होम मिनिस्टर से निवेदन करें कि इस बारे में कोई नया बिल सरकार लाये और वह अपने बिल को वापिस कर लें तो उपयुक्त होगा।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : सदर साहब, मैं बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे टाइम दिया। मुझे खुद इस बात का एहसास है कि हाउस के पास टाइम कम है।

जहां तक सूरज भान जी का ताल्लुक है, मैं उनकी बहुत कद्र करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा किया जो इस तरफ मुल्क की और कौम की तबज्जह दिलाई कि यह क्या ज्यादाती हो रही है? इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बात यह कि इनका जितना खुद पर्सनल एक्सपीरिएंस है, उसके मुताबिक वह सब बातें ले आये मगर एक बात भूल गये क्योंकि शायद खुद उस तबके

से ताल्लुक रखते हैं।

शिड्यूल्ड ट्राइब्स और खासतौर से शिड्यूल्ड कास्ट इनके साथ मेरा ज्यादा डीलिंग रहा है उनके लिये बहुत मुश्किल बात है। उनमें बहुत मुश्किलात हैं। एक तो पुराने वैसेटड इन्टरेस्ट्स हैं जो इनको दबाये हुये थे। उनसे तो जब इनको छुटकारा मिल रहा है, लेकिन अब नये वैसेटड इन्टरेस्ट पैदा हो रहे हैं।

मेरी स्टेट में चन्द एक फैमिलीज हैं। वैसे ही नौकरी बेटा करे, नाकरी बाप करे, उसको बेटा नौकरी करे और वह किसी को आने नहीं देते। भगत छज्जू राम जी हमारे यहां शिड्यूल्ड कास्ट्स के लीडर थे, उन्होंने कहा कि मैं मिनिस्टर, मेरे बच्चे नौकर, मेरी बहु नौकर। मैं समझता हूं कि इन फैमिलीज के लिये जो गरीब शिड्यूल्ड कास्ट्स हैं, उनको तरजीह देनी चाहिये। उसकी पहल होनी चाहिये।

अगर इसका मतलब यह है कि बैंकवडनेस को दूर करना है, गरीब आदमी को आगे बढ़ाना है तो इसमें गरीब से गरीब को बाकी सब चीजें बराबर होते हुए, उनको तरजीह देनी चाहिये, तरक्की देनी चाहिये। इसमें वैसेटड इन्टरेस्ट के लोग खराबी करते हैं।

सूरजभान जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अपने यहां रिक्लूटमेंट बोर्ड में एक शिड्यूल्ड कास्ट अफसर को रखा। उसने वाकियों से मिलकर इंटरव्यू में अपने बेटे को ज्यादा नम्बर दिलवाकर, अपनी ही बिरादरी के शिड्यूल्ड कास्ट कैंडीडेट, जो फर्स्ट स्टैंड करता था। उसको लास्ट करा दिया और अपने बेटे को ऊपर ले गया। मैंने हाई कोर्ट में एक और एडवोकेट को लगाकर, उसकी बेचारे की मिन्नत कर ढाई हजार रुपये खर्च करके उसे मैट्रिकल कालेज में एडमिशन दिलाया। इस किस्म की ज्यादाती हो रही है।

जो बातें इसमें कही गई हैं, कहीं-कहीं मैं इतिफाक भी करता हूं लेकिन यह ऐसे मसाले हैं जिनका हल होना चाहिए और इनको हमें रोकना चाहिये।

आपने लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हिदायत जारी कीं, जो रूल बनाये और किसी किस्म का आर्डर किया, वह परसू किया जाना चाहिये। स्टेट गवर्नमेंट्स के आर्डर भी ऐसे हैं, वह भी इसमें कवर होने चाहियें। आर्टिकल 25 में आपको ध्यान देना चाहिये।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इक्विसादि तौर पर पिछड़े हुए शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग ऐसे हैं जिनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। मगर इनको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हमारी जितनी आर्गनाइजेशन्स हैं, जितने कमीशन बने, जितनी पालियामेंट के मੈम्बरों की कमेटी बनीं हैं, वह भी इस तरफ ध्यान नहीं देती हैं। वह भी कहीं-कहीं चक्कर लगाकर छोटी सी रिपोर्ट दे देती हैं और चुप कर के घर में बैठ जाती हैं। इसको हम पोलिटिकलाइज ज्यादा कर रहे हैं, और सही मायनों में काम कम कर रहे हैं।

इस तरफ सही मायनों में ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस काम के लिए श्री सेठी से बेहतर आदमी और नहीं मिलेगा। उन लोगों की जिन्दगी के सब एस्पेक्ट्स, सोशल इकानोमिक वगैरह, को सामने रखना चाहिए। नौकरी की लड़ाई तो सिर्फ पढ़े-लिखे लोगों की है। 90, 95 परसेंट लोग तो पांचवीं या छठी क्लास से आगे नहीं पढ़ सके हैं। उन बेचारों के लिए क्या करना है? अगर वे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो काम नहीं चलेगा। जैसा कि अभी आनरेबल मॅम्बर ने बताया है, लद्दाख में नए शिड्यूल्ड ट्राइब्स बनने नहीं देते हैं।

जब रिजर्वेशन को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, तो वह जातिवाद है। मैं श्री व्याससे एग्री करता हूं। अंग्रेज ने कहा था कि जिसके पास जमीन है उसकी हालत सब से अच्छी होगी, वह सब को दबा सकेगा। आज उसी बात को कुछ हेर-फेर के साथ लाया जा रहा है। बैंकवड कहलाने वाले वही लोग हैं, जो जमीन पर कब्जा कर के बैठे हुए हैं, जो कि प्राइव्केशन में सबसे बड़ा फॅक्टर है। अब वे गवर्नमेंट की नौकरी पर भी अपना हक कायम करना चाहते हैं।

मेरा कहना यह है कि सबसे पहले शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को आगे लाना चाहिए। इस सबजेक्ट को इन टोटेलिटी स्टडी करके पालिसी तय करनी चाहिए। आज वक्त आ गया है कि इस बारे में जरूरी कदम उठाए जाएं शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को उनके अन्दर और बाहर पैदा हुए वेस्टिड इन्ट्रेस्ट्स से बचाना चाहिए।

नौकरी के मामले को जरूर हल करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा इकानोमिक फील्ड में उनके साथ ज्वादतियां हो रही हैं, उनको काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। इस बारे में उनको सहूलियतें मुहैया करनी चाहिए। बहुत सी जगह उनकी सोशल डिसएविलिटीज काफी हद तक कम हो रही हैं। उनकी इकानोमिक हालत को बेहतर बनाना चाहिए, जिससे वे इकानोमिकली अपने पांव पर खड़े हो सकें। जहां लैंड रिफार्मज कामयाब हुए हैं, वहां छूआ-छूत कम हुई है और जहां लैंड रिफार्मज कामयाब नहीं हुए हैं, वहां छूआ-छूत भी मौजूद है और वांडिड लेवर भी मौजूद है। इस लिए उनमें इतना तौर पर जान पैदा करना जरूरी है।

20-सूत्री कार्यक्रम में लोगों को इंडस्ट्री लगाने के लिए 25,000 रुपए देने की बात कही गई है। हमारी स्टेट में लोगों को पता लगने से पहले ही आपस में मिल-मिला कर, मैनेजरो को रिश्वत दे कर, ये रकमें अपने चहेतों में तकसीम कर दी गई। न शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को रुपया मिला और न बेकार नौजवानों को मिला। गवर्नमेंट के चाहने वालों के अपने लोग वह पैसा हज्म कर गए।

होम मिनिस्ट्री का काम बहुत बड़ा है। पहले एक शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिशनर होता था। वह कोई खराबी नहीं होने देता था अब बड़ी कमेटियां और बड़े कमीशन बना दिए गए हैं इससे फिफ्थ कालम पैदा हो गए हैं। बड़ी

आदमी मिल-मिला कर सब सहूलियतें ले लेते हैं। सोशल वेलफेयर बोर्ड पर बनाने के लिए लोन देता है। चन्द आदमी अपने बेटे, बेटी या दूसरों के नाम पर यह सब ग्रान्ट लेकर खा जाते हैं। गरीब आदमी को कुछ नहीं मिल पाता है। इन कास्ट्स और ट्राइब्ज में इस किस्म के लोग पैदा हो गए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन और वेस्टिड इन्ट्रेस्ट से मिलकर गड़बड़ करते हैं। उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अगर मुल्क को मजबूत करना है, तो इन लोगों को आगे लाना होगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, श्री सूरज भान ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है और उनकी जो भावनाएं हैं, मैं मोटे तौर पर उनसे सहमत हूं। संविधान के अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को आरक्षण का अधिकार दिया गया है। संविधान के अन्तर्गत उन्हें अधिकार तो प्राप्त हैं लेकिन उसके अमल में सारी गड़बड़ी होती है। जो उनका कोटा है 15 और साढ़े 7 परसेन्ट का, उसकी पूर्ति नहीं की जाती है। बहाना यह कर दिया जाता है कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, जैसे कि इनके अलावा बाकी जातियों के लोग दूध के धोये हुए हैं और यही बेचारे दूध में धोये नहीं जा सके, इसीलिए इनमें योग्यता नहीं है। यह नारा कौन लोग लगाते हैं? वेस्टिड इन्ट्रेस्ट वाले जो लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, जो समाज पर कुण्डली मारकर बैठे हुए हैं, वही नारा भी लगाते हैं, जुलूस भी निकालते हैं और धरना भी देते हैं। तो उन लोगों की बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। योग्य लोग तो सभी जगह हैं। लेकिन यह कहकर कि योग्य नहीं हैं उनकी आप भर्ती भी नहीं करते हैं और उनको प्रमोशन भी नहीं देते हैं। अब जमाना बदल गया है, आजादी के बाद लोग अब समझने लगे हैं और पढ़ने भी लगे हैं और इसलिए उनमें नौकरी की लालसा भी जागेगी। इसलिए उनको कोटे के मुताबिक नौकरी

देनी चाहिए। बहुत जगह तो कोटा पूरा होने के बाद भी लोग बच जायेंगे जिनको आप नौकरी नहीं दे पायेंगे। मेरा निवेदन यह है कि अगर आप समझते हैं कि योग्य लोग नहीं हैं तो आप एक स्वेत-पत्र क्यों नहीं जारी करते जिससे कि सारे देश को मालूम हो जाए कि वास्तविक स्थिति क्या है।

दूसरी बात यह है कि संविधान के मुताबिक आपने रिजर्वेशन तो दे दिया लेकिन इसके पीछे कोई कानूनी संरक्षण नहीं है, जैसा कि मनीपुर, उड़ीसा और बंगाल में है। बंगाल में तो कानून में सजा का प्रावधान भी रखा गया है। इस बात पर बहस की जा सकती है कि वह सजा कम है या ज्यादा होनी चाहिए या कितनी होनी चाहिए लेकिन यहां पर आपको इस तरह की कोई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जो अधिकारी हैं वह बहानेबाजी करके इन लोगों को इनके अधिकारों से वंचित न कर सकें। यदि करते हैं तो उसके लिए सजा की व्यवस्था होनी चाहिए और उस कानून को सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिए। इस मामले में आपको टाल-मटोल की नीति छोड़नी होगी। पंजाब के मामले पर भी हम लोग कहते हैं कि आप कठोर बनिए, उसी तरह से इस रिजर्वेशन के मामले में भी आपको कठोर बनना होगा।

एक बात और कहना चाहूंगा। रेलवे में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। रेल मन्त्रालय ने पता लगाया कि एक्सीडेंट करने वालों में कौन लोग हैं तो उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कोई भी व्यक्ति नहीं पाया गया। इससे साबित होता है कि उनकी योग्यता कैसी है और वे कितने एफीशिएंट हैं। उन लोगों की वजह से रेलवे में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, दूसरे लोगों की वजह से ही हुए हैं। अतः आप नहीं कह सकते कि वे योग्य नहीं हैं। इसी प्रकार से जो डि-रिजर्वेशन कर देते हैं उसको भी सख्ती के साथ रोका जाना चाहिए और वह जगहें उन्हीं को मिलनी चाहिए जिनका कि रिजर्वेशन है।

इसी प्रकार से इन लोगों को आर्थिक रूप से भी आगे बढ़ाना होगा, अपने पैरों पर इनको खड़ा करना होगा। देहातों में भूमि सुधार पर सबसे अधिक जोर देने की आवश्यकता है। हो सकता है आप सभी को नौकरी न दे सकें लेकिन अगर उनके पास जमीन होगी तो उसी में उपज करके अपना काम चला सकेंगे।

मण्डल कमीशन की जहां तक बात है, इसमें भी जो रिजर्वेशन की मांग की जाती है उसका कारण यही है कि कुछ लोग ही तमाम सर्विसेज पर कब्जा जमाए हुए हैं। आज लोगों के अन्दर बराबरी की भावना जग रही है। पिछड़े हुए लोग जब अपना हक मांगते हैं तो ऊंचे वर्ग के लोगों को बुरा लगता है कि उनके लड़के कहां जायेंगे। लेकिन यह एक अलग पहलू है, जब ये लोग अपना हक मांगते हैं, तो उनको हक मिलना चाहिए। इस के साथ भूमि सुधार की ओर जोर दिया जाना चाहिए। रिजर्वेशन से ही सिर्फ बैकवर्ड क्लास के तमाम लोगों को नौकरी मिल जाएगी; लैंड रिफार्म की तरफ भी आपको चलना पड़ेगा, भूमि-सुधार कीजिए। ताकि जो जोतने वाला है, उसको जमीन मिले।

इसके मुताबिक मैं आपको बिहार प्रदेश का एक उदाहरण देता हूं। बिहार में जब श्री कर्पूरी ठाकुर, जनता पार्टी, की सरकार थी, तब वहां के तमाम दलों के लोगों ने रिजर्वेशन का एक कानून बनाया। एनैक्चर-I के लिए 12 परसेंट, एनैक्चर-II के लिए 8 परसेंट; किसी भी जाति की महिलाओं के लिए 3 परसेंट और गरीब चाहे किसी भी जाति के हों, ब्राह्मण हो, हरिजन आदिवासी हो; कोई भी हों उनके लिये 3 परसेंट—इस प्रकार यह बड़ा आदर्श कानून था। यदि इस तरह से आप कुछ कर सकें तो हम आपको समर्थन करते हैं। हमारा दल भी उस राय मश्विरा में शामिल था। इस तरह से जातीयता नहीं उभरेगी। जो लोग जातीयता के आधार पर जातिवाद को उभारते हैं; मैं उनका बड़ा विरोधी हूं। जातीयता नहीं उभरनी चाहिए, लेकिन अधिकार मांगना चाहिए। इस अधिकार

की प्राप्ति के लिए गरीबों की हमदर्दी और समर्थन हासिल करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस विधेयक की भावना का समर्थन करता हूँ। (इति)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय सभापति जी, मैं माननीय श्री सूरज भान के विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

आज भी केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे बहुत से संगठन हैं, जहाँ पर कि आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ है। साथ ही साथ राज्य सरकारों में भी इस प्रकार के बहुत से ऐसे विभाग हैं, जहाँ पर-यही स्थिति है। बार-बार कह दिया जाता है कि योग्य हरिजन उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए कोटे को पूरा नहीं किया गया। मैं इस बारे में एक सुझाव देना चाहता हूँ। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है कि योग्य लोग नहीं मिलते हैं। जब यहाँ पर जनता पार्टी की सरकार थी, तब उस वक्त भी यह सवाल उठा था। उस सवाल का जवाब श्री मोरारजी देसाई साहब दे रहे थे, सवाल भाभा अटोमिक रिसर्च सेंटर के बारे में था, जब Aptitude के लोग चाहिये थे ऐसे लोग नहीं मिले हैं, तो कोटा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो लोग मिलें, उनको प्रशिक्षित किया जाए। उनको भर्ती के योग्य बनाया जाए। ऐसे बहुत से विभाग हो सकते हैं; जहाँ योग्य लोग तत्काल उपलब्ध न होते हों।

गृह मंत्री (श्री प्रकाशचन्द सेठी) : हरिकेश जी, ऐसे संस्थान हैं, जहाँ उनको एजुकेशन दी जाती है, उसके अलावा तीन साल तक कोटा आगे चलता रहता है।

श्री हरिकेश बहादुर : इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए तो कोटा पूरा करने में आसानी होगी। अभी एक राज्यपाल महोदय ने इसके बारे में एक बात कही थी, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। जो बात उन्होंने कही; वह किसी को भी पसन्द नहीं आई; न सत्ता पक्ष के

लोगों को और न विरोधी पक्ष के लोगों को। कुछ समय पहले गुजरात में आन्दोलन हुआ, इसी आरक्षण के विरोध में। इस प्रकार की प्रवृत्ति को समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए ताकि लोगों के अन्दर यह भावना पैदा हो कि जिनका हजारों सालों तक शोषण हुआ है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। मैं शास्त्री जी के भूमिसुधार को तेज करने के सुझाव का समर्थन करता हूँ। इसके जरिए हम सदियों से दबे हुए लोगों और गरीब लोगों के जीवन में बेहतरी ला सकते हैं, उनको खुशहाल बना सकते हैं।

इतना कहते हुए मैं सूरज भान जी के इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी कोटा पूरा नहीं है; उसको पूरा किया जाए।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P C SETHI) : Mr. Chairman, Sir, I would like to thank Shri Suraj Bhan and other hon. Members who participated in the debate on the Bill. It was quite interesting in the sense that the Members have been able to highlight certain important aspects of reservation policy for the scheduled castes and scheduled tribes. Before I come to the main provisions of the Bill moved by Shri Suraj Bhan, the House will be interested to know as to what we have been able to achieve by way of providing better employment opportunities to the members of scheduled castes and scheduled tribes. The Annual Report circulated to Members of this House gives facts and figures to show as to how the representation of scheduled castes and scheduled tribes has increased over the years. It may be pertinent for me to bring to the notice of the House that in 1965 the overall percentage of representation of scheduled castes which stood at 13.17% has gone up to 16.67% in 1982. If absolute numbers are taken, it has gone up from 2,98,369 to 5,20,941. In the case of scheduled tribes also the absolute figures in different groups of employees A, B, C and D have gone up from 50,989 to 1,49,354 with the percentage now standing at 4.78. In Group D posts, the representation of both

scheduled castes and scheduled tribes has gone up to 23.1% and 7.45% respectively. In the case of group C, the percentage of scheduled castes has gone up to 13.39% and in Group B to 9.02%. One important feature which needs to be noted by this House is that in all India Services like I.A.S. and I.P.S., we have been able to get full quota of candidates of scheduled castes and scheduled tribes for filling up the vacancies earmarked for them. I do not think that this shows any kind of apathy and unwillingness on the part of the Government as my hon. friend Shri Suraj Bhan has tried to project.

I do confess that the representation of scheduled castes and scheduled tribes in Group A and B has not gone upto the extent we would have desired. While in the case of Group A Services, the reservation in promotion by selection is there only upto the lowest rung of that Service, in Group B, we have not been able to get sufficient number of candidates commensurate with the vacancies that should go to them.

We have been able to identify some areas where the candidates of these communities are not coming forward and we have taken a number of steps including special coaching classes and other types of training which would enable them to take up much employment. In this connection, a budgetary provision to the tune of Rs. 70 lakhs has been made for 1984-85 for coaching training and other allied schemes, while my hon. friend Shri Suraj Bhan has made a provision in his Bill, for a sum of Rs. 10 lakhs for this purpose. I am sure he will give some credit for making a better provision than what he has envisaged. While we lay no claim to what we have been able to do for promoting the interest of scheduled castes and scheduled tribes, I do not think that the achievements are such as to decry them. Though the reservation policy of the Government is being implemented through the executive instructions, there are enough agencies, like the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes a constitutional body, Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Parliamentary Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, which are all there to monitor our reservation policy and for appointing authorities to take suitable action

for any contravention or infraction of instructions that this Department, issues from time to time. While it is true that no statutory code of such provisions contained in our instructions, more or less incorporated by the hon. Member in his Bill, has been attempted, we have found by experience that the executive instructions and orders issued by the Government, allow us to work with less rigidity as may not be the case if any legislation is passed by parliament. At present, the whole reservation scheme is being regulated as I have said earlier through a network of executive instructions. The advantage of having the scheme of reservation regulated through executive instructions is that, it is not only flexible but we could also deal with changing or emergent situations quickly and take on-the-spot decision. On the other hand, if the Scheme is regulated by legislation, my friend would not spare me if I do not come forward to the House even for a minor change that has to be made or introduced in such an enactment. Even the bill that has been brought forward by Shri Suraj Bhan is not so comprehensive as to take care of each and every situation that we face in the operation of the reservation scheme. Even assuming such an enactment is passed by Parliament, we have to make necessary provision for framing rules and regulations which again are to be executed by the officials. I am not able to understand in what way implementation of such rules and regulations under the Act would be different from executive orders and instructions issued by the Government. The House is also aware that not only in respect of reservation scheme but in majority of areas Government regulated its activities through executive instructions. If there is any apprehension in the minds of the members that these instructions do not have any force of law, I would like to dispel such misgivings because the Supreme Court and other Courts have already held that executive instructions issued under Article 16(4) and Article 335 have the force of law. That being the case, I do not know where is the need at all for bringing forward this legislation which will only be more a hindrance rather than a help. My hon'ble friend Shri Suraj Bhan wants to punish the appointing authorities for contravention of any provision contained in his Bill. To be fair to him, I would read it in full. Clause 20 reads as follows :

"If an appointing authority makes an appointment in contravention of the provisions of this Act, he shall be punishable with fine which may extend to rupees five hundred or simple imprisonment for fifteen days or both."

Perhaps, he is not aware that the appointing authorities in certain cases are also the President of India. Union Public Service Commission and many other Constitutional heads. I am not sure whether a penal provision of this kind could be made against such authorities, but it is for the legal luminaries to sit in judgement. But to me it appears that such provisions will bristle with lot of administrative and other difficulties and complications. Sir, I would like to inform the hon'ble member that orders have been issued time and again asking the Ministries/Departments to impress upon the appointing authorities the need to observe the reservation and other orders relating to representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes in services strictly. They have also been instructed that glaring instances of discrimination or deliberate infraction of these reservation orders in any office/establishment should be brought to the notice of appropriate authorities for suitable action promptly. Further, the Liaison Officers posted in every Ministry/Department are required to conduct annual inspection of the rosters maintained for the purpose of overseeing the reservation and representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes. The Government instructions already exist that cases of negligence or lapses in the matter of following the reservation and other orders, coming to light through these inspections or otherwise should be submitted to the Secretary/Additional Secretary or the Head of the Department, and necessary action should be taken against defaulting officials as directed by the Secretary/Additional Secretary/Head of the Department, in individual cases.

A demand of this kind for enacting a legislation has come up in various forms. Government, after considering the various aspects and pros and cons of undertaking such a legislation, has taken the considered view that legislation for implementing the reservation policy will not be a better substitute for the present arrangement which has been working well for the last 37 years.

With these few words, I would request the hon'ble member to withdraw the Bill. I only hope that the hon'ble friend will not give us an opportunity to oppose this Bill.

As far as the point raised by Mr. Namgyal is concerned, we have called a meeting with the Chief Minister, Shri Farooq Abdullah, to discuss these very issues which he raised about Ladakh. Mr. Dogra had raised the question of discussing this problem so that it can be solved amicably.

SHRI UTTAM RATHOD (Hingoli) : I would like to ask 1 or 2 questions. I had spoken on this Bill earlier. I had specifically asked the hon. Minister to give us a break-up of employees, viz. the Scheduled Tribe employees, who come under Scheduled V and VI of the Constitution.

We had seen that recently, two more ordinances were promulgated, just to tackle the problems in Punjab. In spite of having those particular reservations for such a long time, we have not been able to recruit a substantial number of boys for these services.

MR. CHAIRMAN : Clarifications will have to be asked later, i.e. after reply.

When he replies, things will have been finished.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : हम लोगों ने इस चर्चा में पहले भाग लिया है और मंत्री जी आज उत्तर दे रहे हैं तो वे क्लेरीफिकेशन दें।

MR. CHAIRMAN : The bill has been presented by hon. Member Shri Suraj Bhan. Any clarifications on the Bill shall have to be given by him.

SHRI RAM VILAS PASWAN : It is not on the Bill, but on matters raised by the hon. Members.

SHRI SURAJ BHAN : On the points raised, only the Minister can reply.

MR. CHAIRMAN : The appropriate time for it will be after the reply.

श्री राम विलास पासवान : पिछली दफा आपने कहा था कि होम मिनिस्ट्री के अण्डर में शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स

का डिपार्टमेंट खोलने का मामला अण्डर एक्टिव कंसीड्रेशन है। लेकिन श्री वेंकटसुब्बय्या जी ने हम लोगों से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे यहां डिवीजन आफ वर्क है और हम लोग अलग-अलग अपना-अपना काम देखते हैं। मैं अब आपसे क्लेरीफिकेशन चाहता हूं कि यह डिपार्टमेंट कब तक खुलने जा रहा है ?

SHRI P. C. SETHI : That is still under active consideration. (interruptions)

श्री हीरालाल आर० परमार (पाटन) : स्वीपर्स को आरक्षण में जो गिना जाता है, वह गैर-कानूनी बात है। किसी और समाज में तो स्वीपर होते नहीं।

श्री सूरज भान : सभापति महोदय, इस बिल पर लगभग 26 माननीय सदस्य बोले हैं जिनमें आदरणीय सेठी जी भी शामिल हैं। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस बिल पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। अब मैं तीन शेर कहना चाहता हूं। एक सेठी जी के प्रति, उनका जवाब सुनने के बाद मुझे कहना पड़ रहा है कि—

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का
जो चीरा तो कतराए खून निकला।

दूसरा शेर में उन आदरणीय मेम्बरों से कहना चाहता हूं जो कि शेड्युल्ड कास्ट और शेड्युल्ड ट्राइब्स के नहीं हैं मगर उन्होंने इस बिल की हिमायत की है। उनमें शास्त्री जी हैं, वृद्धिचन्द्र जी हैं, वर्मा जी हैं। वे बहुत अच्छे शब्दों में इस बिल पर बोले हैं। उनके बारे में मैं एक बात शेर में ही कहना चाहता हूं—
हर जरूम पर रखदी है मोहब्बत ने जुवा आज।
सदियों से दबाये हुए गम बोल उठे हैं॥

तीसरा शेर मुझे अपने उन साथियों के बारे में कहना है जो शेड्युल्ड कास्ट और शेड्युल्ड ट्राइब्स से सम्बन्धित हैं—

पाते हैं कुछ गुलाब चट्टानों में परवरिश।
आती है पत्थरों से भी खुशबू कभी-कभी॥

सभापति महोदय, 1965 में एक वक्त** जो सीनियर एन्थ्रापालाजिस्ट, गवर्नमेंट आफिसर थे, उन्होंने गोहाटी में एक स्टेटमेंट दिया—

“Reservation is humbug ; it should go.”
रिजर्वेशन की मुखालफत की। यह पहली बार गुजरात में नहीं हुआ और उसके बाद कांग्रेस के ही एक आनरेबल मेंबर श्री डी बासुमतारी ने हाउस में डिमांड की 1966 में कि एक गवर्नमेंट आफिसर मुखालफत कैसे कर रहा है। इसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ** के खिलाफ कार्यवाही होने के बजाए उनको कमिश्नर फार शेड्यूल कास्ट एण्ड ट्राइब्स बना दिया गया जो उनके हितों की रक्षा करेगा। जिस अधिकारी ने रिजर्वेशन की मुखालफत की, हाउस में वह सवाल उठाया गया उसको कमिश्नर फार शेड्यूल कास्ट एण्ड ट्राइब्स बना दिया गया। क्या ऐसा आदमी कोई नया गुल नहीं खिलाता, यह कैसे उम्मीद की जा सकती थी। 1968 में नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग श्रीनगर में हुई। ** को कमिश्नर होने के नाते बुलाया गया और कहा गया कि आप कुछ सुझाव दें कि कैसे शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स को कंट्री की मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। इससे उनकी हालत सुधर सके। आपको हैरानी होगी, उन्होंने दो सुझाव दिए। जुबानी नहीं रिटर्न सुझाव दिए। उनका पहला सुझाव था कि रिजर्वेशन खत्म किया जाए और दूसरा सुझाव था कि शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के बच्चों को दसवीं जमात से आगे पढ़ने नहीं देना चाहिए। ये उनके रिटर्न सुझाव थे। कुछ लोगों को हैरानी होगी। इन सुझावों को सीक्रेट रखा गया। (व्यवधान)

उस वक्त डिप्टी कमिश्नर शेड्यूलकास्ट** थे। मैंने उनको टेलीफोन किया। मैंने कहा कि मुझे इत्तिला मिली है, क्या यह ठीक है? उन्होंने कहा नहीं आपकी इत्तिला गलत है। मैंने कहा आप देखिए तो सही। इत्तिफाक की बात

है कि उस दिन **छुट्टी पर थे और चाबी** के पास थी। उन्होंने खोलकर दो सायक्लोस्टाइल्ड कापियां मेरे पास भेज दीं। 1969 में 80 मेंबर्स आफ पार्लियामेंट्स ने, उसमें सरदार बूटा सिंह जी भी शामिल थे, चौधरी दलवीर सिंह भी शामिल थे, हमने मांग की कि **जैसे निकम्मे आदमी को बदलो। आपको सुनकर हैरानी होगी कि बजाए इसके कि इस आदमी को हटाया जाता उसको बजाए तीन साल के एक साल और रख दिया गया। इससे आप नतीजा निकाल लीजिए कि सरकार का इरादा क्या हो सकता है।

मैं कुछ और बताना चाहता हूं। **गवर्नर जम्मू - कश्मीर ने हैदराबाद में एक स्टेटमेंट दिया। वहां पर सी० सी० देसाई मेमोरियल लेक्चर स्टाफ कालिज में उन्होंने जो कहा उसका एक सेंटेंस कोट कर रहा हूं।

"The privileges accorded to certain castes in public services have undoubtedly reduced their efficiency, competence and integrity,"

SHRI BUTA SINGH : Absurd.

श्री सूरजभान : यह छपा है, इसके ऊपर एडिटोरियल छपे हैं। कुछ ने इसके हक में भी लिखा है, कि गवर्नर साहब को एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है। उनको सविसेस की पूरी वाक-फियत है।

गवर्नर लिख रहे हैं कि एफीशिएंसी, इंटे-प्रिटी और कंपीटेस खतरे में पड़ जायेगी। उसके बाद **डॉक्टर्स के कन्वोकेशन में कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग तो शेड्यूल्ड कास्ट्स के डॉक्टर ही कर देंगे। उनका मतलब था, रिजर्वेशन के सहारे जो डॉक्टर बनकर आयेंगे, वह मरीजों को मारते रहेंगे। एम० बी० बी० एस० के एडमिशन में रिजर्वेशन है। उसके बाद उनको दूसरों के साथ इम्तहान देना पड़ता है। उसमें कोई रियायत नहीं होती और न रियायत मांगते हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मार्क्स में भी उनको रिलेक्सेशन है। ... (व्यवधान)

श्री सूरज भान : ऐसी इंस्ट्रक्शन्स दिखा दीजिए। ... (व्यवधान)

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम बुलारी सिन्हा) : योग्यता पर तो ख्याल रखिए। कम मार्क्स पर ... (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : खत्म कर दीजिए। कम मार्क्स पास करने के लिए नहीं बल्कि एडमिशन के लिए है। (व्यवधान) दो लाख रुपए देकर के 25 परसेंट वाले एडमिशन ले लेते हैं। वह बढ़िया हैं और 45 परसेंट वाले खराब हो जाते हैं। ... (व्यवधान)

श्रीमती राम बुलारी सिन्हा : मैं जानती हूं जिन्दगी में मैंने क्या किया है ? (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आपको तजुर्बे के साथ बोलना चाहिए। आपने कैसे कह दिया कि पास करने में रिलेक्सेशन है ? (व्यवधान)

श्रीमती राम बुलारी सिन्हा : हम लोग बहुत लिबरल हैं और लिबरल होंगे।

श्री सूरज भान : एडमिशन के समय रिलेक्सेशन है। यह जो एडमिशन का प्रोसेस है।

The process of selection, in fact, it has become a process of elimination.

बाद में तो उनको सभी के साथ कम्पीट करना पड़ता है। एक और उदाहरण आपको बता देना चाहता हूं। **आई० आई० टी० मद्रास के डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के आने की वजह से एफीशिएंसी बिल्कुल जाती रहेगी। इनको आई० आई० टी० में लाना ही नहीं चाहिए। पार्लियामेंटरी कमेटी के सामने इनको बुलाकर पूछा गया कि ऐसा क्यों कहते हो? क्या गवर्नमेंट कंडक्ट सर्विस रूलस लागू नहीं होते ?

क्या आपके पर्सनल व्यूज है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को नहीं लेना चाहिए ? इससे भी ज्यादा हैरानी की बात आपको बताना चाहता हूँ। उनका एनुअल कन्वोकेशन होता है जिसमें आदरणीय राष्ट्रपति जी और शिक्षा मंत्री श्रीमती शीला कौल भी बैठती हैं। उनकी मौजूदगी में वह जो कुछ कहता है, वह मैं पढ़कर सुनाता हूँ।

"I said earlier that the freedom we have enjoyed from political pressures has been the main reason for our success. Now, this idyllic situation is being threatened. We have naturally many critics and the latest among them, and whom we must surely take seriously, are the Members of the Parliamentary Committee on Scheduled Castes."

This is an aspersion on the Committee.

"They are concerned that most SC/ST student are unable to cope with their studies in the IITs and some feel that our standards are too high. Some members of this Committee have gone so far as to say that what we need is an Indian standard and not an international standard of instruction. In this connection, it would be pertinent to point out what the international developments in Technology have done for the amelioration of our Scheduled Castes is far more than what is appreciated. For instance, it is the progress in leather technology, sanitary engineering, etc., that have made these once untouchable professions respectable."

हमारी टेक्नालोजी ने बहुत बड़ी तरक्की कर ली है और इन शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के जाक्स जा रहे हैं। शेड्यूल्ड कास्ट्स के नाम पर बाटा जूते बनाता है और उनका सारा प्रोफेशन उस ने छीन लिया है। इत्तफाक से अगर कहीं सड़कें साफ करने की मशीन भी इजाद हो गई तो बाल्मीकियों के सारे हक टाटा और बिरला ले जाएंगे—

उसके आगे कहते हैं—

"Apart from this issue, whether we need or need not be aware of the latest developments in technology, it is necessary to debate the fundamental question whether, just because a group of people cannot cope with a certain level of education, they should have the veto power to deny such an education to the rest ; whether social justice should imply that there shall be no institution at all in the country where merit shall be the criterion and also while the socially-deprived should have special privileges, the talented need have no rights of their own."

उसके आगे एक स्थान पर कहते हैं—

"More than the attack on the IIT-system, the manner in which it was done is the matter of concern. The Directors of all the five IITs were bullied, insulted and abused in unprintable language by some members of the Parliamentary Committee on Scheduled Castes."

मैं चाहता हूँ कि सारा सदन उसका नोटिस ले क्योंकि यह बिल्कुल गलत बात है जो उन्होंने कही है। फिर जो कुछ हम बोलते हैं, वहां रिपोर्ट्स मौजूद होते हैं, उस सारे रिकार्ड को देखा जा सकता है। हमें उसका पता थोड़ा लेट लगा। यह भाषण राष्ट्रपति जी और मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में हुआ है, लेकिन उन्होंने भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। जब अखबारों के जरिए हमें पता लगा तो हमने पार्लियामेंटरी कमेटी की तरफ से लिखा कि इस आदमी के खिलाफ कार्यवाही की जाए। वहां पर एक शेड्यूल्ड कास्ट्स से सम्बन्धित लोगों ने एक आर्गनेजेशन बनाई हुई है, उन्होंने भी लेटर लिखा तो उस लेटर का जवाब भी वह बड़ी दिलेरी से देता है वह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ जो सेक्रेटरी ऑफ दैट आर्गनेजेशन को लिखा गया था—

"I thank you very much for sending me a copy of the resolution passed in your Executive Committee condemning my remarks in my last convocation report. I cordially endorse your demand that immediate action be taken against

me for criticising the Government policy. As my effort to rouse Government to take the necessary steps has so far not been successful, I hope you at least will succeed in doing so."

वह तो कहता है कि मेरे खिलाफ कार्य-वाही की जाय, मैं चाहता हूँ। लेकिन सरकार उसको केवल डिस्प्लैजर कन्वे किया है। वह चाहता है कि मेरे खिलाफ एक्शन लो। उसके बाद ही तो वह पब्लिक ईश्यू बनेगा। यह स्थिति है। उसके बावजूद भी हमारे मिनिस्टर महोदय कहते हैं कि एक्जीक्यूटिव आर्डर्स ही काफी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, यदि किसी ने शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए आरक्षित पोस्ट्स को नहीं भरा तो सरकार की ओर से किसी को ऐसी वार्निंग दी गई। आपने **का क्या किया,** को **शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का कमिशनर बनाया उनको एक साल की एक्स्टेंशन दी (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN ; Some of the names that have been brought here I Shall later check on the record and then decide whether the names are necessary to be there.

श्री सूरज भान : सभापति महोदय, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप उसके स्थान पर जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व राज्य पाल, और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल कर लीजिए। उससे पहले आप उसमें देख लीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

SHRI RAM VILAS PASWAN : Scheduled Castes means those communities which are mentioned as Scheduled Castes under the Constitution.

SHRI N. KUDANTHAI RAMALINGAM : Scheduled Castes mean Harijans. Harijans are there both in Christians as well as in Hindus. I want to know whether you come under Christianity or under Hinduism? (Interruptions).

SHRI SURAJ BHAN : I will give my

own opinion. I am prepared to give it even now... (Interruptions).

MR. CHAIRMAN : Please Mr. Suraj Bhan, you continue.

श्री सूरज भान : सभापति महोदय, मेरा बिल आर्टिकल 335 को इम्पलीमेंट करने के लिए है। सीधी सी बात है, इसमें दो राय नहीं हैं।

सरकार ने एक ब्रोचर निकाला है जिसे कुछ लोग लाल किताब कहते हैं। मेरे बिल में कोई नई चीज नहीं है, जो इस ब्रोचर में नहीं है। हर क्लाज को टच किया है और मैंने उसको बिल में रखा है। मेरे बिल का मतलब यह है कि इसके पीछे कोई लीगल संवर्धन होनी चाहिये।

आज अगर कोई किसी आर्डर को वायोलेट करता है तो उसको कोई सजा नहीं। अगर एक्ट बनेगा तो कोर्ट में चलेज किया जा सकता है। जो आदमी इम्पलीमेंट नहीं करता, उसको सजा दिलाई जा सकती है। अगर 3 स्टेट इसको बना सकती हैं, उनका काम क्या उस एक्जीक्यूटिव आर्डर से नहीं चल सकता था? सेंटर शुड एक्ट एज ए माडल।

आदरणीय होम मिनिस्टर ने जो प्वाइंट उठाये हैं, उनका मैं जवाब दूंगा, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कि कमिशनर फार शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज ने लगातार अपनी 6 रिपोर्ट्स में लिखा है कि रिजर्वेशन को इम्पलीमेंट करने के लिये कानून बनाया जाये। इलिया पेरूमल कमेटी इसी गवर्नमेंट की एक कमेटी थी। उसने रिक्मेंड किया है कि एक्ट बनना चाहिये।

पार्लियामेंट की कमेटी फार वेलफेयर आफ शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज ने अपनी दो रिपोर्टें में लिखा है कि इसका एक्ट बनना चाहिये।

होम मिनिस्ट्री ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया, अपने आफिसर लगाये, उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी, मैंने उस दिन पढ़कर सुनाया भी था, कि एक्ट बनना चाहिये। इसके साथ ही साथ एक चीज बाद में पता लगी, वह भी बताना चाहता हूं कि सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने के लिये पहले उसका नाम अनटचेबिलिटी एक्ट था। उसका नाम बदलने के लिये सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट जब हुआ तो एक ज्वायंट सिलेक्ट कमेटी बनी, उसने एक रिकमेंडेशन दी जो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वह इस बिल से सम्बन्धित है। यह 1974 की रिपोर्ट है वह लिखते हैं—

एक्सप्लेनेशन 2, आर्टिकल 10 के साथ जुड़ा है—

“Explanation II.—Any appointing authority in relation to any service or post in connection with the affairs of—

- (a) the Union or any State Government;
- (b) any corporation or undertaking owned or controlled by the Central or State Government, or by both ;
- (c) any authority or body established by any Central, State or Provincial Act ;
- (d) any local authority,

“Who shows any negligence in giving effect to the orders of the appropriate authority relating to the reservation of posts for the employment of the members of the Scheduled Castes shall be demand to have abetted an offence punishable under this Act.”

यह रिकमेंडेशन है। अगर यही एडाप्ट हो जाती, तो मेरे इस बिल की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब वह हाउस में डिस्कस हुई तो उस वक्त के मिनिस्टर आफ स्टेट इन होम मिनिस्ट्री, श्री ओम मेहता ने जवाब दिया। वह कहते हैं :—

“The Joint Committee has suggested that negligence in the investigation of

untouchability offences and in giving effect to orders relating to reservation posts for Scheduled Castes should be deemed to be abettors. So far as reservation in services is concerned, omission or failure to give effect to the reservation orders cannot be taken to amount to the practice of untouchability or the enforcement of any disability arising out of untouchability. There will also be serious practical difficulties in giving effect to such a provision.”

यह ज्वायंट सिलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशन हैं। जो भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज रहें हों, इसको नहीं माना गया। अगर इसको माना जाता, तो मुझे यह बिल लाने की जरूरत नहीं थी। सरकार ने किसी भी रिकमेंडेशन को नहीं माना।

कुछ सदस्यों ने जो एक्ट पास किए हैं, मैं उन सबका जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ का जवाब जरूर देना चाहता हूं। श्री नामग्याल ने कहा कि अगर शिड्यूल्ड कास्ट्स का कोई आदमी क्रिस्टियन या मुस्लिम हो गया है.....

SHRI N. KUDANTHAI RAMALINGAM (Mayuram) : You are speaking about the interests of the Scheduled Castes. I would like to know what is meant by 'Scheduled Caste'.

SHRI SURAJ BHAN : It is written in the Constitution.

SHRI N. KUDANTHAI RAMALINGAM : A harijan belonging to the Christain community is treated in a different way compared to a harijan belonging to the Hindu community. In one he is a Scheduled Caste and in another he is not ; he ceases to be a Scheduled Caste. That is why I want to know who is a Scheduled Caste. Is it people who are suffering from political economic or social disabilities ?

SHRI SURAJ BHAN : I think the Government has its views. You ask your. Home minister what the policy is.

SHRI RAM VILAS PASWAN : If he wants some clarification, let him ask the Minister. I have explained what is mentioned in the Constitution, what is included in the

Constitution as Scheduled Caste. That is the simple meaning. If he is unable to understand it, how can I help it?

MR. CHAIRMAN : You have made your point; Nothing more. Kindly sit down.

श्री सुरज भान : सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मैं दो बात कहना चाहता हूँ। जो शिड्यूल्ड कास्ट किसी और धर्म में चले जाते हैं, उसको यह फैसिलिटी मिले, यह सवाल पारलियामेंटरी कमेटी में आया था। वहाँ पर कुछ सज्जन आए। उन्होंने कहा कि ये लोग इस धर्म में आए हैं, लेकिन इनकी आर्थिक दशा नहीं बढ़ती है, यह तो वैसे ही खराब है। मैंने उनसे पूछा कि आपके धर्म में आने के बाद क्या उनके साथ छुआछूत बरती जाती है — डू दे सफर फ्राम अनटचेबिलिटी? वे शशोपंज में पड़ गए। उन्होंने कहा, नहीं। तब मैंने कहा कि फिर उनको रिजर्वेशन नहीं मिल सकेगी। क्योंकि रिजर्वेशन का आधार उनकी सोशल बैकवर्डनेस और सोशल वीकनेसिज है।

श्री पी. नामग्याल : मैंने कहा था कि आर्टिकल 25 के मुताबिक अगर कोई शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी सिख बन जाता है, तो वह मजहबी सिख बनता है, सिखों में अनटचेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे आदमी को शिड्यूल्ड कास्ट की सारी फैसिलिटीज मिलती रहेंगी। लेकिन अगर कोई शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी किसी दूसरे मजहब में जाता है, तो उसको वे फैसिलिटीज नहीं मिल सकती हैं। यह डिस्क्रीमिनेशन है।

श्री पी. नामग्याल : मैंने कहा था कि आर्टिकल 25 के मुताबिक अगर कोई शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी सिख बन जाता है तो वह मजहबी सिख बनता है। स्कूलों में अन्तिमिलिटी नहीं है लेकिन पुरानी ऐसे आदमी को शिड्यूल्ड कास्ट की सारी फैसिलिटी मिलती रहेंगी। लेकिन अगर कोई शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी किसी दूसरे मजहब में जाता है तो उसको वह फैसिलिटी नहीं मिलती है। यह डिस्क्रीमिनेशन है।

MR. CHAIRMAN : It is a question of two different versions. You say whatever you have to say. It is far better.

श्री सुरज भान : सर्विसिज की रिजर्वेशन उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए नहीं है। यह गलतफहमी दूर होनी चाहिए। आर्थिक हालत सुधारने के लिए और इकानोमिक स्टेप्स हैं। सर्विसिज की रिजर्वेशन मुल्क की हुकूमत में हिस्सा देने और प्रशासन में भागीदार बनाने के लिए की गई है। आर्थिक पोजीशन सुधारने के लिए सर्विसिज की रिजर्वेशन हरगिज नहीं है। क्या पारलियामेंट में रिजर्वेशन का मतलब भी आर्थिक हालत सुधारने का है? जब मैं सर्विस में था, तो पारलियामेंट के मੈम्बर के मुकाबले में बहुत अच्छी हालत में था। पारलियामेंट का मੈम्बर बनने से मुझे आर्थिक तौर पर घाटा है। यह तो मुल्क के निजाम में, हुकूमत में वे भागीदार कर सकें यही उसके पीछे उद्देश्य है जो कि बहुत हद तक पूरा भी होने लगा है।

MR. CHAIRMAN : All right, you can continue on the next day.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, May 7, 1984
Vaisakha 17, 1906 (SAKA).